



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28112023-250289
CG-DL-E-28112023-250289

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 299]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 25, 2023/अग्रहायण 4, 1945

No. 299]

NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 25, 2023/AGRAHAYANA 4, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2023

मामला सं. ए.डी (एसएसआर)-05/2023

विषय: मलेशिया से टेक्सचर्ड टेम्पर्ड कोटेड और अनकोटेड ग्लास के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच।

फा. सं. 7/11/2023 - समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली या एडी नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. पृष्ठभूमि

- मै. बोरोसिल रेनेवेबल्स लिमिटेड (जिसे यहां आगे "घरेलू उद्योग" अथवा "आवेदक" भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार, मलेशिया (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "टेक्सचर्ड टेम्पर्ड कोटेड और अनकोटेड ग्लास" (जिसे यहां आगे "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक ने संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना का आरोप लगाया है और संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसे जारी रखने तथा बढ़ाने का अनुरोध किया है।
3. अधिनियम की धारा 9क (5) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि लागू पाटनरोधी शुल्क को यदि पहले न हटाया जाए तो वह इसे लागू करने की तारीख से 5 वर्षों की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाता है और प्राधिकारी के लिए यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति की संभावना है। उक्त के अनुसार प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से एक विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
4. नियमावली के नियम 23(1ख) में निम्नलिखित प्रावधान है:

"..... अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क उसके लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक निष्प्रभावी हो जाएगा बशर्ते निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त अवधि से पूर्व अपनी खुद की पहल पर या घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत पुष्टिकृत अनुरोध के आधार पर उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व उचित अवधि के भीतर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उक्त शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।"
5. पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से दायर पाटन और क्षति की संभावना के प्रथम दृष्टया साक्ष्य वाले साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 7/11/2023-डीजीटीआर (एडी- एसएसआर सं. 05/2023) दिनांक 19.09.2023 के माध्यम से वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की थी ताकि इस बात की जांच की जा सके कि क्या उक्त शुल्क की समाप्ति से पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना है और क्या मलेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता है।
6. पूर्व में प्राधिकारी ने 5.2.2018 को मलेशिया से संबद्ध वस्तु के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू की थी और जांच करने के बाद अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 6/45/2017-डीजीएडी दिनांक 17.01.2019 के माध्यम से शुल्क लगाने की सिफारिश की। प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना सं. 12/2019-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 26.02.2019 के माध्यम से निम्नलिखित निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

क्र.सं.	उत्पादक	यूओएम	राशि (अम.डॉ. में)
1	मै. जिनयी सोलर एसडीएन.बीएचडी. मलेशिया	अम.डॉ./ मी.ट.	0
2	मै. जिनयी सोलर एसडीएन.बीएचडी. मलेशिया के अलावा कोई उत्पादक	अम.डॉ./ मी.ट.	114.58

7. वर्तमान समीक्षा के दायरे में संबद्ध वस्तु से संबंधित पूर्वोक्त मूल जांच के सभी पहलू शामिल हैं।

ख. उत्पादक

8. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है :
 - i. प्राधिकारी ने मलेशिया से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 19.9.2023 की एक अधिसूचना जारी की।
 - ii. प्राधिकारी ने जांच शुरुआत अधिसूचना की एक-एक प्रति भारत में संबद्ध देश के दूतावास, मलेशिया से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों / प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पत्तों के अनुसार भेजी थी और उनसे ए डी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार जांच शुरुआत अधिसूचना के 30 दिनों के भीतर अपने विचारों से लिखित में अवगत कराने का अनुरोध किया था। सूचना प्रस्तुत करने की समय सीमा 25.10.2023 तक बढ़ाई गई थी।
 - iii. प्राधिकारी ने एडी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों और भारत में संबद्ध देश के दूतावास को आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति उपलब्ध कराई।
 - iv. भारत में मलेशिया के दूतावास से मलेशिया के निर्यातकों/उत्पादकों को विहित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध भी किया गया था। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति मलेशिया के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पत्तों के साथ दूतावास को भी भेजी गई थी।

- v. हितबद्ध पक्षकारों से नियमावली के नियम 6(2) और 6(4) के अनुसार, विहित ढंग और तरीके से संगत सूचना प्रस्तुत करने और विहित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया गया था।
- vi. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, संगत सूचना मंगाने के लिए मलेशिया के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को, जिनके ब्यौरे आवेदक ने दिए थे, प्रश्नावली भेजी थी।
- क. जिनयी सोलर मलेशिया एसडीएन.बीएचडी.
- ख. गार लाइटग्लास एसडीएन. बीएचडी
- vii. इसके उत्तर में केवल जिनयी सोलर मलेशिया एसडीएन. बीएचडी. ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है।
- viii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता एसोसिएशनों, जिनके नाम और पते प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए थे, को जांच शुरूआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी थी और उन्हें नियम 6(4) के अनुसार प्राधिकारी द्वारा विहित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगतकराने की सलाह दी थी।
- क. मुंद्रा सोलर पीवी लिमिटेड
- ख. स्वेलेक्ट एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड
- ग. प्रीमियर एनर्जीज़ लिमिटेड
- घ. रिन्यूसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- ङ. गोल्डी सोलर प्राइवेट लिमिटेड
- च. वारी एनर्जीज़ लिमिटेड
- छ. एल्पेक्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
- ज. विक्रम सोलर प्राइवेट लिमिटेड
- झ. टॉपसन एनर्जी लिमिटेड
- ञ. टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड
- ट. एम्मी फोटोवोल्टिक पावर प्राइवेट लिमिटेड
- ठ. नेविटास ग्रीन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
- ड. सोवा पावर लिमिटेड
- ix. किसी भी प्रयोक्ता/अयातक/उपभोक्ता ने आयातक/प्रयोक्ता प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है।
- x. ऐसे निर्यातक/विदेशी उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है या इस जांच से संगत सूचना नहीं दी है, को असहयोगी हितबद्ध पक्षकार माना जाना प्रस्तावित है।
- xi. प्राधिकारी ने मलेशियाई दूतावास, सभी ज्ञात निर्यातकों, आयातकों और घरेलू उद्योग को आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की थी। घरेलू उद्योग को छोड़कर किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है।
- xii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है। जहां संभव हो गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।
- xiii. हितबद्ध पक्षकारों को उनके द्वारा प्रस्तुत उत्तरों, अनुरोधों और साक्ष्य के अगोपनीय अंश को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ शेयर करने के लिए कहा गया था।
- xiv. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 (12 महीने) की है। वर्तमान जांच के लिए क्षति अवधि 1 अप्रैल, 2019 – 31 मार्च, 2020, 1 अप्रैल, 2020- 31 मार्च, 2021, 1 अप्रैल 2021-31 मार्च, 2022 और पी ओ आई की अवधि है।

- xv. आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यक समझी गई सीमा तक अतिरिक्त / पूरक सूचना मांगी गई थी। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त आंकड़ों का इस जांच के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया था।
- xvi. क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और ए डी नियमावली के अनुबंध-111 के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना पर आधारित उत्पादन लागत और भारत में संबद्ध वस्तु को बनाने और बेचने की लागत पर आधारित है। इसे इसलिए ज्ञात किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xvii. वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) और डी जी सिस्टम्स, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) से क्षति अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों से सौदावार ब्यौरे प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। इस पर विनिर्दिष्ट निर्यातकों से निर्यातों की मात्रा को आयातों की मात्रा और मूल्य से सह-संबंधित करते हुए उसकी गणना के लिए भरोसा किया गया है और व्यवहार्य सीमा तक प्रस्तुत उत्तर का सत्यापन किया गया है।
- xviii. नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को 03.11.2023 को हुई मौखिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। इसमें जिसमें हितबद्ध पक्षकारों ने भाग लिया था। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले सभी पक्षकारों से लिखित अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। लिखित अनुरोधों के अगोपनीय अंश को दिनांक 6.11.2023 के ई-मेल द्वारा हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया गया था और उन्हें 8.11.2023 तक खंडन अनुरोध, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था।
- xix. जहां कहीं भी किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान सूचना देने से मना किया है या अन्यथा आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, या जांच में अत्यधिक बाधा डाली है वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह प्रकटन विवरण दर्ज किया है।
- xx. प्राधिकरण ने 18 नवंबर 2023 को केंद्र सरकार को अंतिम सिफारिशें करने के लिए विचाराधीन सभी आवश्यक तथ्यों वाले सभी इच्छुक पक्षों को प्रकटीकरण विवरण जारी किया। इच्छुक पक्षों को 22 नवंबर 2023 तक प्रकटीकरण बयान पर अपनी टिप्पणी दायर करने का निर्देश दिया गया था।
- xxi. प्राधिकरण ने इन अंतिम निष्कर्षों में इच्छुक पक्षों द्वारा की गई प्रकटीकरण के बाद की टिप्पणियों की उस हद तक जांच की है जिसे प्रासंगिक माना जाता है। कोई प्रस्तुतिकरण जो केवल पूर्व प्रस्तुतिकरण का पुनरुत्पादन था और जिसकी प्राधिकरण द्वारा इन अंतिम निष्कर्षों में पर्याप्त रूप से जांच की गई थी और जिसे संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं गया है।
- xxii. प्राधिकरण ने उठाए गए सभी तर्कों और इच्छुक पक्षों द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर विचार किया है, इस हद तक कि वे साक्ष्य के साथ समर्थित हैं और वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक मानी जाती हैं।
- xxiii. इस प्रकटन विवरण में '***' चिन्ह किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।
- xxiv. संबद्ध जांच के लिए पी ओ आई के दौरान प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अम.डॉ. = 81.15 रूपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

9. वर्तमान निर्णायक समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद मलेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "90.5 प्रतिशत के न्यूनतम ट्रांसमिशन के साथ 4.2 मिमी. से कम मोटाई (0.2 मिमि. की सहनशीला सहित) वाला टैक्सचर्ड टफेंड (टेम्पर्ड ग्लास) है और जिसमें कम से कम 1 डायमेंशन 1500 मिमि. से अधिक हो, चाहे कोटेड हो अथवा अनकोटेड"
10. बाजार शब्दावली में इस उत्पाद को विभिन्न नामों जैसे सोलर ग्लास, सोलर ग्लास लो आयरन, सोलर पीवी ग्लास, हाई ट्रांसमिशन फोटोवोल्टिक ग्लास, टेम्पर्ड लो आयरन पैटर्न सोलर ग्लास आदि के रूप में भी जाना जाता है। टैक्सर्ड टेम्पर्ड ग्लास को सोलर फोटो वॉल्टिक पैनलों और सालर थर्मल अनुप्रयोगों में एक घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ट्रांसमिशन के स्तर को आयरन मात्रा को कम रखकर, विशेष रूप से 200 पीपीएम से कम, प्राप्त किया जा सकता है। ट्रांसमिशन का स्तर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग तरल के साथ कोड करने पर लगभग 2 प्रतिशत - 3 प्रतिशत बढ़ जाता है।

उत्पादकों/ निर्यातकों/ आयातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

11. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में उत्पादकों/निर्यातकों ने कोई अनुरोध नहीं किए हैं।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

12. वर्तमान निर्णायक समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद मलेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "90.5 प्रतिशत के न्यूनतम ट्रांसमिशन के साथ 4.2 मिमी. से कम मोटाई (0.2 मिमि. की सहनशीता सहित) वाला टैक्सचर्ड टफेंड (टेम्पर्ड ग्लास) है और जिसमें कम से कम 1 डायमेंशन 1500 मिमि. से अधिक हो, चाहे कोटेड हो अथवा अनकोडेड"।
13. बाजार शब्दावली में इस उत्पाद को विभिन्न नामों जैसे सोलर ग्लास, सोलर ग्लास लो आयरन, सोलर पीवी ग्लास, हार्ड ट्रांसमिशन फोटोवोल्टिक ग्लास, टेम्पर्ड लो आयरन पैटर्न सोलर ग्लास आदि के रूप में भी जाना जाता है। टैक्सर्ड टेम्पर्ड ग्लास को सोलर फोटो वॉल्टिक पैनलों और सालर थर्मल अनुप्रयोगों में एक घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ट्रांसमिशन के स्तर को आयरन मात्रा को कम रखकर, विशेष रूप से 200 पीपीएम से कम, प्राप्त किया जा सकता है। ट्रांसमिशन का स्तर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग तरल के साथ कोड करने पर लगभग 2 प्रतिशत - 3 प्रतिशत बढ़ जाता है।
14. संबद्ध उत्पाद को अधिकांशतः 70071900 के 8 अंकीय स्तर पर टैरिफ वर्गीकरण के अंतर्गत आयातित किया जाता है। यद्यपि, इसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के विभिन्न उपशीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत और आयातित किया जा रहा है, जैसा आयात आंकड़ों से देखा जा सकता है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु को उपशीर्षों 70031990, 70051010, 70051090, 70052190, 70052990, 70053090, 70071900, 70072190, 70072900, 70169000, 70200090 और 85414011 के अंतर्गत भी आयातित किया जा रहा है, जैसा आयात आंकड़ों से स्पष्ट है। इसके अलावा, यह भी बताया गया है कि सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह उत्पाद के दायरे पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है और विवाद की स्थिति में उत्पाद विवरण लागू होगा।
15. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और मलेशिया से आयातित संबद्ध वस्तु में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, वितरण एवं विपणन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। आवेदक ने दावा किया है कि भारत में आने वाली संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु तकनीकी विनिर्देशनों, गुणवत्ता, कार्य या सव्बिडी प्राप्त आयातों के अंतिम प्रयोग और घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तु तथा आवेदक द्वारा विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें "समान वस्तु" माना जाना चाहिए।

प्राधिकारी द्वारा जांच

16. मूल जांच तथा वर्तमान जांच में विचाराधीन "90.5 प्रतिशत के न्यूनतम ट्रांसमिशन के साथ 4.2 मिमी. से कम मोटाई (0.2 मिमि. की सहनशीता सहित) वाला टैक्सचर्ड टफेंड (टेम्पर्ड) ग्लास है और जिसमें कम से कम 1 डायमेंशन 1500 मिमि. से अधिक हो, चाहे कोटेड हो अथवा अनकोडेड" (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद कहा गया है) के रूप में परिभाषित था।
17. विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 70 में "ग्लास और ग्लासवेयर" श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और आगे सीमाशुल्क वर्गीकरण के अनुसार 7003, 7005, 7007, 7016, 7020 और 8541 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।


समान वस्तु के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

"समान वस्तु" से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;

18. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और मलेशिया से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और मलेशिया से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के अनुसार तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के दायरे और अर्थ के भीतर संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु है।
19. विचाराधीन उत्पाद और समान लेख के मुद्दे के बारे में प्राधिकरण के सामने कोई तर्क नहीं आया है। इसलिए, प्राधिकरण का प्रस्ताव है कि वर्तमान समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहे जैसा कि दीक्षा अधिसूचना में उल्लेख किया गया है।


घ. विचाराधीन उत्पाद की विनिर्माण प्रक्रिया

20. संबद्ध वस्तु की विनिर्माण प्रक्रिया को नीचे फ्लो चार्ट में दर्शाया गया है :



संबद्ध वस्तु के प्रयोग

21. संबद्ध वस्तु का अधिकांशतः सोलर मॉड्यूल के विनिर्माण में एक इनपुट के रूप में प्रयोग होता है। प्राधिकारी को हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार संबद्ध वस्तु सोलर मॉड्यूल के कुल मूल्य की 4 से 5 प्रतिशत होती है। सोलर मॉड्यूल में प्रयुक्त इनपुट का चित्रात्मक आरेख निम्नानुसार है :



ड. घरेलू उद्योग के क्षेत्र का दायरा और स्थिति

22. वर्तमान आवेदन मै. बोरोसिल रेनेवेबल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है जिनका जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के भारतीय उत्पादन में 100 प्रतिशत हिस्सा है। प्राधिकारी को उपलब्ध सूचना के अनुसार पीओआई में देश में विचाराधीन उत्पाद का कोई अन्य ज्ञात उत्पादक नहीं है।

23. उपलब्ध सूचना के अनुसार, आवेदक ने न तो संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वह संबद्ध वस्तु के किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित है। उक्त के मद्देनजर आवेदक नियमावली के अंतर्गत निर्धारित घरेलू उद्योग के मामलों और स्थिति को पूरा करता है।
24. किसी भी उत्पादक/निर्यातक/ अन्य हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के बारे में कोई अनुरोध नहीं किया है।
25. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर आवेदक को घरेलू उद्योग माना है और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।
26. रिकॉर्ड में सूचना दर्शाती है कि आवेदक का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का "एक प्रमुख हिस्सा" बनता है।
27. यथोक्त रिकॉर्ड में सामग्री की जांच करने पर और कानूनी प्रावधान पर विचार करने पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार, घरेलू उद्योग है और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

च. गोपनीयता

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

28. प्रतिवादियों के गोपनीयता के दावे के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

- क. जहां तक उनके अनुरोधों/सूचना का संबंध है, गोपनीयता का दावा नियमावली के नियम 7 और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के प्रावधानों के अनुसार किया गया है।
- ख. क्षति निर्धारण तक पहुंचने के लिए प्राधिकारी द्वारा विचार किए गए सभी आर्थिक मापदंडों को व्यापार सूचना 10/2018 दिनांक 7.09.2018 के अनुसार उपलब्ध कराया गया है।
- ग. भागीदार उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत उत्तर गोपनीयता के संबंध में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है। प्रश्नावली में अधिकांश प्रश्नों के उत्तर बिना कोई सार्थक सारांश के पूरी तरह से गोपनीय रूप में दावा किए गए हैं।
- घ. घरेलू उद्योग ने व्यापार सूचना 07/2018 में बताए गए तरीके से आयात आंकड़े प्रदान करने के दायित्व को पूरा किया है। हितबद्ध पक्षकार डी जी सी आई एंड एस से या प्राधिकारी से आंकड़े लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

निर्यातकों/आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

29. घरेलू उद्योग के गोपनीयता के दावों के संबंध में उत्पादकों/निर्यातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :
- क. आवेदक ने प्रपत्र ए से एल तक में प्रदत्त सूचना और एनआईपी की सूचना के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने आंकड़ों के वे रूझान नहीं बताए हैं जिनकी सूचना एक वर्ष से अधिक के लिए दी जानी थी।
- ख. यह कि चूंकि घरेलू उद्योग ने व्यापार सूचना 03/2021 दिनांक 12.04.2021 का पालन नहीं किया है, इसलिए वर्तमान जांच को समाप्त किया जाना चाहिए।
- ग. घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के गोपनीय होने के लिए समर्थक साक्ष्य का दावा किया है जिसे हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणी के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए था।
- घ. यह कि निर्यातक ने लागू व्यापार सूचनाओं के अनुसार और डीजीटीआर प्रक्रिया के अनुसार अपने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं।

प्राधिकारी द्वारा जांच

30. सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियमावली के नियम-7 में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

"गोपनीय सूचना"(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

31. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के बारे में किए गए अनुरोधों की प्राधिकारी द्वारा पुनः संगत समझे जाने की सीमा तक जांच की गई है, तदनुसार, समाधान किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है। सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी व्यापार से संबंधित संवेदनशील सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है।
32. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसी समस्त सूचना का अगोपनीय अंश प्रदान किया है जो वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ संगत है।

छ. विविध अनुरोध

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

33. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं :
- क. चीन और मलेशिया से संबद्ध वस्तु के विरुद्ध शुल्क ने भारतीय उद्योग के लिए सकारात्मक रूप से कार्य किया है। यद्यपि चीन और मलेशिया से संबद्ध वस्तु की आयात कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से अब भी कम है। तथापि, संबद्ध वस्तु पर एडीडी लगने से भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों को थोड़ी राहत मिली है।
- ख. शुल्क लागू होने के बाद घरेलू उद्योग तथा अन्य संभावित कंपनियों ने देश में संबद्ध वस्तु की मांग और उसमें वृद्धि की संभावना को देखते हुए संबद्ध वस्तु की विनिर्माण क्षमताओं में निवेश किया है। मलेशिया के विरुद्ध 2019 में एडीडी लागू होने से पहले संबद्ध वस्तु की विनिर्माण क्षमता केवल *** एमटी/प्रति वर्ष थी जिसमें बोरोसिल एकमात्र उत्पादक था। शुल्क लगने के बाद यद्यपि, बोरोसिल ने अपनी क्षमता बढ़ाई तथापि, 5 नई कंपनियां शामिल हुईं और वे उत्पादन शुरू करने वाली हैं।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

34. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं :
- क. प्राधिकारी को आवेदक द्वारा प्रस्तुत व्यापार आसूचना पर आधारित आंकड़ों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और उन्हें डी जी सी आई एंड एस से विश्वसनीय और प्रमाणित आंकड़े लेने चाहिए और वर्तमान जांच के निष्कर्ष में उनकी जांच करनी चाहिए।
- ख. समस्त साक्ष्य जांच की शुरुआत को उचित नहीं ठहरा सकते हैं। इसके बताए प्राधिकारी को प्रस्तुत साक्ष्य "पर्याप्त साक्ष्य" बनने के लिए पर्याप्त गुणवत्ता के होने चाहिए। आवेदक के लगाए गए आरोप अधिकांशतः अनुमानों और मान्यताओं पर आधारित हैं। इसके अलावा, आवेदक प्रस्तुत आंकड़ों से तार्किक निष्कर्ष निकालने में विफल रहा है। इस प्रकार, उत्पादक/निर्यातक का अनुरोध है कि आवेदन वर्तमान जांच की शुरुआत को उचित ठहराने के लिए, पर्याप्त साक्ष्य देने में विफल रहा है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

35. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों के निम्नलिखित पैराग्राफों में जांच की है :
36. पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने के लिए निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत के मामले में प्राधिकारी को प्रथमदृष्टया स्वयं को इस बात से संतुष्ट करना होता है कि शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना होगी। जांच की शुरुआत का यह निष्कर्ष प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन को पढ़ने के बाद निकाला जाना चाहिए।
37. जांच शुरुआत के समय आवेदक के लिए प्रथमदृष्टया यह मामला बनाना उचित है कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होगी। वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने संबद्ध देश के आयात/निर्यात आंकड़ों की विस्तृत जांच की है और स्वयं को प्रथमदृष्टया संतुष्ट किया है कि संबद्ध देश के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के बाद भी घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु के आयातों का रूझान क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान निरंतर सकारात्मक रहा है।
38. उल्लेखनीय है कि निर्णायक समीक्षा जांच में पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्तिहोने का संभावना विश्लेषण अपेक्षित है, इसलिए किसी मूल जांच में पाटन और क्षति की मौजूदगी/अभाव के एकमात्र महत्वपूर्ण होने की संभावना नहीं है। इस

प्रकार वर्तमान जांच को शुरू करते समय प्राधिकारी के पास पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच के लिए पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य थे।

39. यह भी नोट किया जाता है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह दर्शाने के लिए कोई सूचना/साक्ष्य नहीं दिया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर जांच की शुरुआत में किसी नियम का उल्लंघन कैसे किया है या उसने कैसे किसी हितबद्ध पक्षकार के हितों के विरुद्ध पक्षपात किया है। अतः प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस आधार पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों में कोई सच्चाई नहीं है।
40. निर्यातक द्वारा आवेदक के प्रस्तुत आयात आंकड़े पर भरोसा नहीं करने के अनुरोध के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने वर्तमान पत्तन विवण के प्रयोजनार्थ डी जी सी आई एंड एस के आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है।

ज. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

41. अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के अनुसार किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:
- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:
- (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा
- (ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

42. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :
- i. पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद मलेशियाई निर्यातकों ने भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन जारी रखा है। वास्तव में भारत को मलेशियाई निर्यातकों की निर्यात कीमत में लागत में वृद्धि के बावजूद एडीडी के लागू होने के बाद गिरावट आई है।
- ii. यह रोचक है कि सहयोगी निर्यातक ने यह भी दावा नहीं किया है कि वे भारत में संबद्ध वस्तु का पाटन नहीं कर रहे हैं।
- iii. घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध सूचना से यह देखा गया है कि जिनयी मलेशिया को अपने साथी सहायक कंपनी से ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त हुआ है और वह उसकी तत्काल धारक कंपनी है। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि उन्हें संबंधित पक्षकार से प्राप्त अपने ऋणों पर कोई ब्याज नहीं देना है। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय लागत का भार उनके लेखा परीक्षित लेखों में नहीं दिया गया है। चूंकि वे कोई ब्याज नहीं दे रहे हैं जो अन्यथा सामान्य परिस्थितियों में देय होता, इसलिए घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से मलेशिया में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए आवश्यक कोई अनिवार्य परीक्षण करने से पहले संबद्ध वस्तु की कुल लागत में ब्याज लागत जोड़ने का अनुरोध किया है। यह भी बताया गया है कि प्राधिकारी ने मूल जांच में भी मलेशिया के लिए ब्याज लागत समायोजित की थी।
- iv. घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से मलेशिया, थाइलैंड और वियतनाम से सभी प्रकार के रिकार्डबल, डिजीटल वर्सेटाइल डिस्क (डीवीडी) मामले (फा.सं. 14/16/2009- डीजीएडी दिनांक 2.7.2010) में अपनाई गई नीति को अपनाने का अनुरोध किया है जिसमें प्राधिकारी ने कंपनी द्वारा कोई उधारी नहीं होने पर भी उत्पादन लागत में 5 प्रतिशत की मानक ब्याज लागत जोड़ी थी।
- v. चीन से कच्ची सामग्री की खरीद के संबंध में घरेलू उद्योग ने बताया है कि उन्होंने जिनयी समूह की इस वार्षिक रिपोर्ट को नोट किया है कि वे चीन में स्थित अपने संबंधित पक्षकारों से कच्ची सामग्री खरीद रहे हैं। चूंकि प्राधिकारी, चीन को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था मान रहे हैं, इसलिए उन्होंने प्राधिकारी से चीन से खरीदी गई कच्ची सामग्री की कीमत की अनदेखी करने का अनुरोध किया है और प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर विचार करने के बाद उनकी उत्पादन लागत में उचित समायोजन करने का अनुरोध किया है। घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से यह भी अनुरोध किया है कि कच्ची सामग्री की कीमत को इस आधार पर उनके प्रत्यक्ष मूल्य पर स्वीकार नहीं किया जा सकता कि कच्ची

सामग्री को संबंधित पक्षकार से खरीदा गया है। इस संबंध में घरेलू उद्योग ने चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित रबड़ रसायन अर्थात् एमबीटी, सीबीएस, टीडीक्यू, पीवीआई और टीएमटी तथा चीन जन.गण. और कोरिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पीएक्स-13 (6पीपीडी) के आयातों (फा.सं. 15/1/2013-डीजीएडी दिनांक 29.04.2014) और (फा. सं. 6/20/2020- डीजीटीआर दिनांक 26.07.2021) से संबंधित जांच की ओर प्राधिकारी का ध्यान दिलाया है जिसमें प्राधिकारी ने इस आधार पर चीन से खरीदी गई प्रमुख कच्ची सामग्री की कीमत को अस्वीकार किया था कि किसी गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश से कीमत उचित लागत को नहीं दर्शाती है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि इस जांच में भी यही नीति अपनाई जानी चाहिए।

- vi. घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से यह जांच करने का अनुरोध किया है कि क्या निर्यातक ने असंबंधित निर्यातकों के लिए एस जी और ए तथा लाभ का दावा किया है।
- vii. घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि मूल्य ह्रास के प्रयोजनार्थ परिसंपत्ति की लागत को मशीनरी के उचित मूल्य पर विचार करने के बाद समायोजित किया जाना चाहिए, जिसका आयात चीन से हुआ है। यह नीति हाल के जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के अनुपालन में होगी।
- viii. प्राधिकारी को निर्यातकों की उत्पादन लागत में वित्त लागत को उचित ढंग से जोड़ना चाहिए क्योंकि उन्हें संबंधित पक्षकारों से ब्याज मुक्त ऋण मिल रहे हैं।
- ix. प्राधिकारी को इस अवधि के दौरान कारखाना द्वार निर्यात कीमत की गणना के लिए दावा किए गए समायोजन की जांच करनी चाहिए, पीओआई के दौरान मालभाड़ा लागत और अन्य व्यय पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में अधिक थे।
- x. चीन में मूल कंपनी ने संबंधित पक्षकार सौदों के अंतर्गत मलेशिया की अपनी सहायक कंपनी को सभी संयंत्र और मशीनरी की आपूर्ति की है। घरेलू उद्योग द्वारा मलेशिया में प्रमाणित एजेंसियों की एक सूची भी दी गई है ताकि निर्यातक प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार मशीनरी के बारे में प्रमाण पत्र दे सकें।
- xi. निर्यातक/उत्पादक जिनयी सोलर (मलेशिया) का "जिनयी ग्लास (इंडिया)" के नाम से एक भारतीय कार्यालय है और बाजार सूचना के अनुसार जिनयी ग्लास (इंडिया) निर्यातक के लिए पीयूसी के आग्रह व्यवसाय में शामिल है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

43. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :
 - i. घरेलू उद्योग मलेशिया में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के संबंध में कोई विश्वसनीय सूचना देने में विफल रहा है और इसलिए अंतिम निर्धारण पर इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।
 - ii. प्राधिकारी को पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार करना चाहिए।
 - iii. जिनयी सोलर, मलेशिया ने गुआंसी जिनयी ट्रेडिंग कं. लि. जो चीन में स्थित है, के जरिए निविष्टियां खरीदी हैं। उक्त खरीद निकट कीमत पर हुई थी। गुआंसी जिनयी ट्रेडिंग कं. द्वारा आपूर्ति की गई ये वस्तुएं उस कंपनी द्वारा उत्पादित नहीं थीं बल्कि निकट आधार पर असंबंधित आपूर्तिकर्ताओं से खरीदी गई हैं।
 - iv. जिनयी सोलर मलेशिया ने मलेशिया सरकार के अनुमोदन से बाजार कीमत पर संयंत्र और मशीनरी खरीदी है। इसके अलावा, इस मुद्दे को मूल जांच में पहले ही निपटाया गया है और अंतिम जांच परिणाम से संगत उद्धरण नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए थे।

"संबंधित पक्षकार से संयंत्र और मशीनरी और कलपुर्जों की खरीद की सूचना के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि कलपुर्जों और संयंत्र और मशीनरी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें प्राप्त करना व्यवहारिक रूप से असंभव है क्योंकि इन वस्तुओं को क्रेता द्वारा अपने स्वयं के प्रयोग के लिए अनुकूल बनाया जाता है। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि यद्यपि, कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमत का बेंचमार्क उपलब्ध है, तथापि, कलपुर्जों/मशीनरी के लिए किसी तरह की विश्वसनीय सूचना प्राप्त करना तकनीकी विनिर्देशनों और अनुकूलित अपेक्षाओं की दृष्टि से संभव नहीं है। वर्तमान जांच के दौरान निर्यातक प्रश्नावली को संशोधित किया गया। तथापि, संबंधित पक्षकारों से कलपुर्जों/उपकरणों की खरीद की सौदावार सूचना विशेष रूप से घरेलू उद्योग के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए प्राप्त की गई थी। मै. जिनयी सोलर (मलेशिया) के स्वतंत्र लेखा परीक्षक ने प्रमाणित किया है कि कंपनी का वित्तीय विवरण मलेशियायी वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों और मलेशिया में कंपनी अधिनियम, 2016 की अपेक्षा के अनुसार है।"

इसके अलावा, जिनयी सोलर के स्वतंत्र लेखा परीक्षकों ने अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट 2017 में जिनयी सोलर (मलेशिया) एसडीएन बीएचडी लेखा परीक्षित बहियों और लेखों में आए संयंत्र और मशीनरी के मूल्य के संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है।

मूल्य हास को हमेशा लागू कानूनों, अधिनियमों और विनियमों के अनुसार ज्ञात किया जाता है और उन्हें सामान्यतः बिक्री के प्रतिशत के रूप में परिकलित किया जाता है। जिनयी सोलर (मलेशिया) की वार्षिक रिपोर्ट 2017 के अनुसार संयंत्र और मशीनरी के मूल्य हास को 7 प्रतिशत-10 प्रतिशत की दर की सीधी रेखा पद्धति में दर्शाया गया है।

कंपनी की लेखांकन नीति दर्शाती है कि ऐतिहासिक लागत आम तौर पर परिसंपत्तियों के विनिमय में दिए गए सौदे के उचित मूल्य पर आधारित होती है।

- v. पीयूसी के उत्पादन में प्रमुख कच्ची सामग्री "कच्चा शीशा" होता है जिसे जिनयी सोलर द्वारा स्वयं उत्पादित किया जाता है। इसके अलावा, जिनयी सोलर कच्ची सामग्री की काफी कम मात्रा (कुल कच्ची की खपत का लगभग ***-***%) चीन जन.गण. से खरीदता है। उसे भी ऐसे स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से लिया जाता है जिनके पास निर्यात लाइसेंस नहीं है।
- vi. ब्याज मुक्त लोन से संबंधित मुद्दे की प्राधिकारी ने मलेशिया से टैक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास चाहे कोटेड हो अथवा अनकोटेड, के आयातों से संबंधित सीवीडी जांच में पहले ही जांच की है जो सेस्टेट के समक्ष न्यायाधीन है।
- vii. जिनयी ग्लास (इंडिया) एक भारतीय कंपनी नहीं है; वह हांगकांग में अधिनिगमित एक कंपनी है। यहां केवल कंपनी के नाम में भारत शब्द होने से यह अर्थ नहीं होता है कि वह भारत में स्थापित है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिनयी ग्लास (इंडिया) ने भारत में संपर्क कार्यालय स्थापित करने के लिए आरबीआई को आवेदन किया था परंतु वह आवेदन वापस लिया गया और तत्पश्चात बंद कर दिया गया।

प्राधिकारी द्वारा जांच

1. अधिकांशतः चीन से संबंधित और असंबंधित पक्षकारों से कच्ची सामग्री की खरीद

44. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुबंध-1 का पैरा-1 निम्नानुसार है :

पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 1 में उल्लेख है कि: "इस सामान्य मूल्य के निर्धारण के संदर्भ में उल्लिखित लागत तत्व सामान्य रूप से जांच के तहत आने वाले निर्यातक अथवा उत्पादक द्वारा रखे गए रिकॉर्ड के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, बशर्ते कि वे रिकॉर्ड निर्यातक देश के सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार हैं और वे रिकॉर्ड विचाराधीन वस्तु के उत्पादन और बिक्री से संबंधित लागत को पर्याप्त रूप से दर्शाते हैं।"

45. अतः प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि सहयोगी उत्पादक/निर्यातक द्वारा रखे गए रिकॉर्ड तर्कसंगत रूप से विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री से संबंधित लागत को तर्कसंगत रूप से दर्शाते हैं, तो प्राधिकारी ऐसे रिकॉर्ड में दी गई कीमत को स्वीकार कर सकते हैं। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के इस दावे के संबंध में कि कच्ची सामग्री जिनयी सोलर मलेशिया द्वारा चीन जन.गण. में उनकी संबंधित कंपनी से खरीदी जा रही है, तो सहयोगी उत्पादक/निर्यातक अर्थात् जिनयी सोलर, मलेशिया ने बताया है कि उसने कच्ची सामग्रियां जैसे लो आयरन डोलोमाइट, लो आयरन लाइमस्टोन और सोडियम सल्फेट को अपने संबंधित पक्षकार से खरीदा है। तथापि, ये कच्ची सामग्रियां पीयूसी की उत्पादन लागत का प्रमुख हिस्सा नहीं हैं। इसके मद्देनजर चीन जन गण, कोरिया गणराज्य और यू एस ए से रबड़ कैमिकल की पीएक्स-13 के अंतिम जांच परिणाम, जिनमें प्राधिकारी ने 4 एडीपीए की वास्तविक आयात कीमत पर विचार करने के बजाए 4 एडीपीए (रबड़ कैमिकल पीएक्स-13 बनाने में प्रयुक्त एक प्रमुख रसायन) की बाजार कीमत पर वर्तमान जांच में भरोसा नहीं किया है क्योंकि 4एडीपीए रबड़ कैमिकल अर्थात् पीएक्स-13 की उत्पादन लागत में प्रमुख हिस्सा भी बनता है।

2. उनकी साथ सहायक कंपनियों से जिनयी सोलर मलेशिया को ब्याज मुक्त ऋण

46. ब्याज मुक्त ऋण के लिए लागत और सामान्य मूल्य में समायोजन में मुद्दे के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह ऋण किसी ब्याज के बिना हांगकांग में संबंधित पक्षकार से लिया गया है। ऐसा केवल इसलिए संभव था क्योंकि जिनयी की एक संबंधित कंपनी हांगकांग में स्थित है। यदि जिनयी मलेशिया की कोई संबंधित कंपनी हांगकांग में स्थित नहीं होती, तो हांगकांग से ऋण लेना या तो संभव नहीं होता या यदि जिनयी मलेशिया को ऋण मिल भी जाता तो प्रभारित ब्याज उसमें शामिल जोखिमकारक के आधार पर भिन्न होता। यह भी नोट किया जाता है कि एडी नियमावली, 1995 के अनुबंध-1 के पैरा-1 में भी उल्लेख है कि सामान्य मूल्य के निर्धारण के संदर्भ में लागत के तत्व सामान्यतः जांच के अधीन निर्यातक या उत्पादक द्वारा रखे गए रिकॉर्डों से निर्धारित किए जाएंगे। बशर्ते कि ऐसे रिकॉर्ड निर्यातक देश से सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार हों और ऐसे रिकॉर्ड तर्कसंगत रूप से जांच के अधीन वस्तु के उत्पादन और बिक्री से संबंधित लागत को दर्शाते हैं। अतः जिनयी मलेशिया द्वारा हांगकांग में स्थित अपनी प्रमुख शेयरधारक कंपनी से लिए गए ब्याजमुक्त लोन को उसके सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए पीयूसी की उत्पादन लागत ज्ञात करके प्रचलित ब्याज दर के साथ उचित रूप से लेखांकित किया गया है।

3. जिनयी सोलर मलेशिया द्वारा चीन जन.गण. में अपनी संबंधित कंपनी से संयंत्र और मशीनरी की खरीद

47. घरेलू उद्योग का आरोप है कि चीन जन.गण. में मूल कंपनी में अपनी मलेशियायी सहायक कंपनी अर्थात् जिनयी सोलर मलेशिया को एक संबंधित पक्षकार सौदे के अंतर्गत समस्त संयंत्र और मशीनरी की आपूर्ति की है।

48. जिनयी सोलर मलेशिया, सहयोगी उत्पादक/निर्यातक ने बताया है कि उसने मलेशिया सरकार के अनुमोदन से बाजार कीमत पर संयंत्र और मशीनरी खरीदी है।
49. यह नोट किया गया है कि यद्यपि, कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों संबंधी बैंच मार्क उपलब्ध है, तथापि, कलपुर्जों/मशीनरी के लिए इसी तरह की विश्वनीय सूचना तकनीकी विनिर्देशनों और अनुकूल अपेक्षाओं के कारण नहीं प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा, जिनयी सोलर मलेशिया के स्वतंत्र लेखा परीक्षक ने अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में जिनयी सोलर (मलेशिया) की लेखा परीक्षित वही और लेखों में दर्ज संयंत्र और मशीनरी के मूल्य के संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है। स्वतंत्र लेखा परीक्षक मै. जिनयी सोलर (मलेशिया) ने प्रमाणित किया है कि कंपनी के वित्तीय विवरण मलेशियायी वित्तीय रिपोर्टिंग मानक, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक और मलेशिया के कंपनी अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार हैं। यह भी नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग ने यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि संबंधित पक्षकारों से इनपुट और मशीनरी की कीमत उचित कीमत पर नहीं है। इसके अलावा, निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के विश्लेषण के समय प्राधिकारी को संबंधित पक्षकार से इनपुट की कीमतों में कोई विसंगति भी नहीं मिली है। इसके मद्देनजर, अंतरण कीमत से संबंधित घरेलू उद्योग की चिंताओं पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है।
50. यही मुद्दा मूल जांच के दौरान भी उठा था जिसमें प्राधिकारी ने जिनयी सोलर मलेशिया द्वारा संयंत्र और मशीनरी की खरीद चीन जन.गण. में संबंधित कंपनियों से करने से संबंधित मुद्दे पर विस्तार से विचार किया है।

4. जिनयी सोलर मलेशिया का 'जिनयी ग्लास (इंडिया)' के नाम से भारतीय कार्यालय

51. घरेलू उद्योग ने अपने लिखित विवरण में यह आरोप लगाया है कि उत्पादक/निर्यातक जिनयी सोलर मलेशिया, जिनयी ग्लास (इंडिया) के नाम से एक भारतीय कार्यालय रख रहा है जो निर्यातक के व्यवसाय के कार्यों में शामिल है। अपने दावे के समर्थन के लिए घरेलू उद्योग ने जिनयी ग्लास होल्लिंग कंपनी लिमिटेड में "राष्ट्रीय विक्री प्रमुख - भारत" के लिंकड इन प्रोफाइल का स्क्रीन शॉट संलग्न किया है। घरेलू उद्योग ने जिनयी ग्लास इंडिया के प्रचालनों के चैट जीपीटी सर्च रिजल्ट के स्क्रीन शॉट के साथ अपने दावे को और मजबूत करने का प्रयास किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसके अलावा घरेलू उद्योग द्वारा अपने दावे को सिद्ध करने के लिए कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य नहीं दिया गया है।
52. दूसरी ओर उत्पादक/निर्यातक ने अनुरोध किया कि "जिनयी ग्लास (इंडिया)" हांगकांग में अधिनिगमित एक कंपनी है और उसके नाम में "इंडिया" शब्द का कथित भारतीय कार्यालय से कोई लेना देना नहीं है। इस बात को सिद्ध करने और स्थापित करने के लिए कि जिनयी ग्लास (इंडिया) हांगकांग में अधिनिगमित कंपनी है, सहयोगी उत्पादक/निर्यातक ने वर्ष 2022 की अपनी लेखा परीक्षित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो इसे सिद्ध करती है।
53. यह भी नोट किया गया है कि जिनयी ग्लास (इंडिया) ने वर्ष 2018 में भारत में एक संपर्क कार्यालय स्थापित करने के लिए आर वी आई को आवेदन किया था। तथापि, आर वी आई द्वारा वर्ष 2021 में उक्त आवेदन को बंद कर दिया गया और भारत में कार्यालय स्थापित करने की अनुमति उन्हें नहीं दी गई। सहयोगी उत्पादक/निर्यातक ने इसे साबित करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक से प्राप्त ई-मेल प्रस्तुत किया है जिसमें भारत में संपर्क कार्यालय खोलने के अनुरोध/पूछताछ को बंद कर दिया गया है। तथापि, मूल जांच में ऐसी कोई पूछताछ / ईमेल दस्तावेज नहीं था जिसे संबंधित भारतीय कार्यालय के प्रचालन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत दावे/साक्ष्य के खंडन के लिए सहयोगी उत्पादक/निर्यातक ने प्रस्तुत किया हो।
54. प्राधिकारी ने मलेशिया से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी थीं जिसमें उन्हें प्राधिकारी द्वारा विहित ढंग और तरीके से सूचना देने के लिए कहा गया था। मलेशिया से निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है।

क. जिनयी सोलर (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी

सामान्य मूल्य

55. प्रश्नावली के उत्तर में प्रस्तुत सूचना के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. जिनयी सोलर (मलेशिया) संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है और उसने पी ओ आई के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है।
56. निर्यातक ने पीओआई के दौरान घरेलू बाजार में पीयूसी की *** मी.ट. विक्री की है जबकि पीओआई के दौरान असंबंधित व्यापारी के जरिए भारत को *** मी.ट. संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने पहले यह जांच की है कि क्या संबद्ध देश में संबंधित उत्पादक/निर्यातक द्वारा संबद्ध वस्तु की कुल घरेलू विक्रियां निर्यातक देश में संबद्ध वस्तु की उनकी कुल विक्री की तुलना में प्रतिनिधि हैं। तत्पश्चात यह जांच की गई थी कि क्या पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के अनुसार उनकी विक्रियां व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में थीं। मै. जिनयी मलेशिया ने घरेलू बाजार में की गई विक्री के सौदावार ब्यौरे उपलब्ध कराए हैं। प्राधिकारी ने जांच के बाद उन्हें स्वीकार किया है और घरेलू बाजार में बेची गई संबद्ध वस्तु की विक्री कीमत के निर्धारण के लिए उन पर भरोसा किया है। व्यापार की सामान्य प्रक्रिया निर्धारण की जांच में संबंधित उत्पाद की उत्पादन लागत की उत्पादक/निर्यातक द्वारा रखे गए रिकॉर्ड के संदर्भ में जांच की गई थी।
57. इसके अलावा, समस्त घरेलू विक्री सौदों की जांच संबद्ध वस्तु की प्राधिकारी द्वारा निर्धारित उत्पादन लागत के संदर्भ में की गई थी ताकि यह निर्धारित हो सके कि क्या घरेलू विक्रियां व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में थीं या नहीं। सामान्य मूल्य

निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी ने लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री सौदे के निर्धारण के लिए संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के संदर्भ में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण संचालित की है। यदि लाभ वाले सौदे 80% से अधिक हैं तो प्राधिकारी सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में सभी सौदों पर विचार करते हैं। जहां लाभप्रद सौदे 80% से कम हैं वहां सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए निवल लाभप्रद घरेलू बिक्रियों पर विचार किया जाता है। व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए समस्त घरेलू बिक्रियों पर विचार किया गया है क्योंकि लाभप्रद बिक्रियां मात्रा के अनुसार 80% से अधिक थीं। उत्पादक ने अंतरदेशीय भाड़े, और ऋण लागत का कारखाना पश्चात व्यय के रूप में दावा किया है और प्राधिकारी ने उसे स्वीकार करने का प्रस्ताव किया है। ऊपर यथानिर्धारित सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

जिनयी सोलर (मलेशिया) के लिए निर्यात कीमत

58. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जिनयी सोलर (मलेशिया) एस डी एन बीएचडी ने *** अम.डॉ. बीजक मूल्य की *** एम टी संबद्ध वस्तु का भारत को सीधे निर्यात किया है। उत्पादक/निर्यातक ने समुद्री भाड़ा, पत्तन और अन्य संबंधित व्यय, बीमा, अंतरदेशीय परिवहन, ऋण लागत, बैंक प्रभारों के लिए समायोजन का दावा किया है जिनके व्यौरों की सुदूर प्रति जांच/व्यवहार्य सीमा तक डेस्क सत्यापन के जरिए जांच की गई थी। तदनुसार, उत्पादक/निर्यातक के लिए कारखाना द्वार स्तर पर पीयूसी की निवल निर्यात कीमत तदनुसार, निर्धारित करने का प्रस्ताव है।

मलेशिया से अन्य उत्पादक

59. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, प्राधिकरण ने नोट किया कि विषय जांच की जांच अवधि के दौरान, शिनयी सोलर (मलेशिया) एसडीएन को छोड़कर कोई अन्य उत्पादक नहीं था। बीएचडी। विषय वस्तुओं का निर्यात किया है।

झ. पाटन मार्जिन का निर्धारण

60. ऊपर यथाउल्लिखित सामान्य मूल्य और निवल निर्यात कीमत (एनईपी) के आधार पर उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	उत्पादक/निर्यातक	एनवी	एनईपी	पाटन मार्जिन		
		अम.डॉ./मी.ट.	अम.डॉ./मी.ट.	अम.डॉ./मी.ट.	%	%रेंज
1	जिनयी सोलर (मलेशिया)	***	***	***	***%	(10)-0

61. प्राधिकरण ने नोट किया कि विषय जांच की जांच अवधि के दौरान, शिनयी सोलर (मलेशिया) एसडीएन को छोड़कर कोई अन्य निर्माता नहीं था। बीएचडी। विषय वस्तुओं का निर्यात किया है और उक्त एकमात्र उत्पादक के लिए डंपिंग मार्जिन नकारात्मक है।

ञ. क्षति निर्धारण की पद्धति और क्षति तथा कारणात्मक संबंध की जांच

62. अनुलग्नक-II के साथ पढ़े गए नियमों के नियम 11 में प्रावधान है कि क्षति निर्धारण में उन कारकों की जांच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को नुकसान का संकेत दे सकते हैं, "सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें डंप किए गए आयात की मात्रा, घरेलू बाजार में समान वस्तुओं की कीमतों पर उनका प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयात के परिणामी प्रभाव शामिल हैं।" डंपिंग रोधी समझौते के प्रासंगिक प्रावधानों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

अनुच्छेद 11-डंपिंग रोधी शुल्कों और मूल्य उपक्रमों की अवधि और समीक्षा

11.1 एक डंपिंग रोधी शुल्क केवल तब तक लागू रहेगा जब तक और डंपिंग का मुकाबला करने के लिए आवश्यक सीमा तक जो चोट का कारण बन रहा है।

11.2 अधिकारी अपनी स्वयं की पहल पर, जहां आवश्यक हो, शुल्क के निरंतर अधिरोपण की आवश्यकता की समीक्षा करेंगे या, बशर्ते कि किसी भी इच्छुक पक्ष द्वारा अनुरोध पर निश्चित एंटी-डंपिंग शुल्क के अधिरोपण के बाद से उचित अवधि बीत चुकी हो, जो समीक्षा की आवश्यकता की पुष्टि करने वाली सकारात्मक जानकारी प्रस्तुत करती है।(21) इच्छुक पक्षों को यह जांच करने के लिए अधिकारियों से अनुरोध करने का अधिकार होगा कि क्या डंपिंग की भरपाई के लिए शुल्क का निरंतर अधिरोपण आवश्यक है, क्या शुल्क हटाए जाने या परिवर्तित होने पर चोट जारी रहने या फिर से होने की संभावना होगी, या दोनों। यदि, इस पैराग्राफ के तहत समीक्षा के परिणामस्वरूप, अधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि एंटी-डंपिंग शुल्क अब आवश्यक नहीं है, तो इसे तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा।

11.3 पैरा 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, कोई निश्चित डंपिंगरोधी शुल्क उसके अधिरोपित किए जाने के पांच वर्ष के पश्चात् की तारीख को समाप्त नहीं किया जाएगा (या पैरा 2 के अधीन नवीनतम समीक्षा की तारीख से यदि उस समीक्षा में डंपिंग और क्षति दोनों को शामिल किया गया है, या इस अनुच्छेद के अधीन) जब तक कि प्राधिकारी अपनी स्वयं की पहल पर या उस तारीख से पूर्व उचित अवधि के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध पर

उस तारीख से पूर्व आरंभ की गई समीक्षा में यह अवधारित नहीं करते हैं कि शुल्क की समाप्ति डंपिंग और क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति का कारण बनने की संभावना होगी।(22) इस तरह की समीक्षा के परिणाम तक कर्तव्य लागू रह सकता है।

63. पाटन रोधी समझौते के अनुच्छेद 3 में कहा गया है:

3.1 जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद VI के प्रयोजनों के लिए क्षति का निर्धारण सकारात्मक साक्ष्य पर आधारित होगा और इसमें दोनों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा शामिल होगी (ए) डंप किए गए आयात की मात्रा और समान उत्पादों के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर डंप किए गए आयात का प्रभाव, और (बी) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव।

3.2 डंप किए गए आयात की मात्रा के संबंध में, जांच अधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या डंप किए गए आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, या तो पूर्ण रूप से या आयातक सदस्य में उत्पादन या खपत के सापेक्ष। कीमतों पर डंप किए गए आयात के प्रभाव के संबंध में, जांच अधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या आयातक सदस्य के समान उत्पाद की कीमत की तुलना में डंप किए गए आयात द्वारा कीमत में महत्वपूर्ण कटौती की गई है, या क्या इस तरह के आयात का प्रभाव अन्यथा कीमतों को एक महत्वपूर्ण डिग्री तक कम करने या मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा एक महत्वपूर्ण डिग्री तक होता। इनमें से कोई भी या कई कारक अनिवार्य रूप से निर्णायक मार्गदर्शन नहीं दे सकते हैं।

3.4 संबंधित घरेलू उद्योग पर डंप किए गए आयात के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर असर डालने वाले सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों और सूचकांकों का मूल्यांकन शामिल होगा।.....

3.5 यह प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि डंप किए गए आयात, डंपिंग के प्रभावों के माध्यम से, जैसा कि पैराग्राफ 2 और 4 में निर्धारित किया गया है, इस समझौते के अर्थ के भीतर क्षति का कारण बनता है। डंप किए गए आयात और घरेलू उद्योग को नुकसान के बीच एक कारण संबंध का प्रदर्शन अधिकारियों के समक्ष सभी प्रासंगिक साक्ष्यों की जांच पर आधारित होगा।

64. अनुलग्नक-II के साथ पठित डंपिंग रोधी नियमों के नियम 11 के साथ डंपिंग रोधी समझौते के अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि क्षति की जांच सकारात्मक साक्ष्य पर आधारित होगी और इसमें (क) डंप किए गए आयात की मात्रा और समान उत्पाद के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर डंप किए गए आयात के प्रभाव दोनों की वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होगी। इस मामले में, विषय देश से आयात को अन-डंप किया गया पाया गया है और इसलिए डंप किए गए आयात की इतनी मात्रा और घरेलू उद्योग की कीमतों पर इसके प्रभाव के कारण क्षति की जांच करने के लिए निर्धारित मानकों को पूरा नहीं किया जा सकता है। विषय देश से डंप किए गए आयात की किसी भी मात्रा के अभाव में प्राधिकरण क्षति मापदंडों और उसके कारण संबंध की जांच करना आवश्यक नहीं समझता है।

65. यह ध्यान दिया जाता है कि मूल जांच के विपरीत जहां प्राधिकरण को दोनों के बीच वर्तमान डंपिंग, क्षति और कारण संबंध स्थापित करने की आवश्यकता होती है, सूर्यास्त समीक्षा जांच में जांच एक संभावना की है, जो विभिन्न न्यायिक उदाहरणों और डब्ल्यूटीओ के फैसलों के माध्यम से एक तय स्थिति है।

66. एंटी-डंपिंग समझौते के अनुच्छेद 11.3 में एक जांच प्राधिकरण की आवश्यकता होती है, ताकि एंटी-डंपिंग ड्यूटी को बनाए रखने के लिए, एक एंटी-डंपिंग ड्यूटी ऑर्डर की समीक्षा की जा सके जो पहले से ही स्थापित किया जा चुका है, डंपिंग और क्षति के पूर्व-आवश्यक निर्धारण के बाद-ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उस आदेश को जारी रखा जाना चाहिए या रद्द कर दिया जाना चाहिए। जब क्षति के निर्धारण की 'समीक्षा' पहले से ही एंटी-डंपिंग समझौते के अनुच्छेद 3 के अनुसार स्थापित की गई है, तो अनुच्छेद 11.3 की आवश्यकता नहीं है कि चोट के निर्धारण की संभावना बनाते समय अनुच्छेद 3 के अनुसार क्षति को फिर से निर्धारित किया जाए।¹

67. वर्तमान मामले के तथ्य में, मेसर्स शिनयी सोलर मलेशिया को छोड़कर विषय वस्तु का कोई अन्य उत्पादक नहीं है, जिसके लिए डंपिंग मार्जिन नकारात्मक पाया गया है, जिसका अर्थ है कि समग्र रूप से विषय देश का डंपिंग मार्जिन नकारात्मक है। विषय देश से वर्तमान डंपिंग की अनुपस्थिति में क्षति की जांच अप्रासंगिक होगी।

68. इसलिए प्राधिकरण संभावना कारकों की जांच के लिए सीधे कदम उठाना उचित समझता है।

ट. पाटन और क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति की तरह

69. एक समीक्षा जांच में, प्राधिकरण को यह निर्धारित करना होता है कि क्या वस्तुएं डंप कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश करना जारी रख रही हैं या प्रवेश करने की संभावना है और क्या शुल्क हटाए जाने पर इन डंप किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ

70. क्षति की संभावना के संबंध में घरेलू उद्योग की प्रस्तुतियाँ नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैं:

1 अर्जेंटीना से ओसीटीजी पर एंटी-डंपिंग उपायों की यूएस-सनसेट समीक्षा: डब्ल्यूटी/डीएस 268/एबी/आर दिनांक 29.11.2004।

- क. शुल्क लागू होने के बावजूद निरंतर डंपिंग, स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि डंपिंग केवल तभी जारी रहने की संभावना है जब शुल्क हटा दिए जाते हैं। इससे पता चलता है कि विषय देश में उत्पादकों में अनुचित मूल्य निर्धारण व्यवहार का सहारा लेने की प्रवृत्ति होती है।
- ख. तथ्य यह है कि शुल्क लगाए जाने के बाद विषय देश से आयात की हिस्सेदारी में गिरावट आई है और बाकी दुनिया से आयात की तुलना में बहुत कम हो गया है, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि डंपिंग रोधी शुल्क विषय देश के निर्यातकों/निर्यातकों के खिलाफ घरेलू बाजार में अपने सामान को डंप करने के लिए एक बाधा के रूप में कार्य कर रहा है।
- ग. निर्यातक मलेशिया में महत्वपूर्ण क्षमता वृद्धि की योजना बना रहे हैं। इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वर्तमान क्षमता वृद्धि स्थानीय मांग से कहीं अधिक है जो इंगित करता है कि संयंत्रों के निर्यात बाजारों पर निर्भर होने की संभावना है और भारत विशेष रूप से भारत में उच्च विकास को देख रहा है। ऐसे समय में जब भारतीय उद्योग मलेशिया से डंपिंग के कारण पीड़ित है, ये अतिरिक्त क्षमताएं न केवल नए निवेश को खतरे में डालेंगी, बल्कि मौजूदा निवेश और "आत्मनिर्भर भारत" के दृष्टिकोण के लिए भी खतरा पैदा करेंगी।

विवरण	यूओएम	
मलेशिया में क्षमता विस्तार	मी.ट.	711750
शिनयी सोलर-1200 एमटी प्रति दिन (स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट)		
एनएसजी-750 प्रति दिन (स्रोत: बाजार स्रोत और सार्वजनिक समाचार)		
भारतीय पीयूसी मांग	मी.ट.	***
भारतीय पीयूसी उत्पादन	मी.ट.	***
भारतीय मांग में मलेशिया में नई क्षमता वृद्धि का प्रतिशत	%	***%
भारतीय मांग में मलेशिया में नई क्षमता वृद्धि का प्रतिशत	रेंज	130-150
भारतीय उत्पादन में मलेशिया में नई क्षमता वृद्धि का प्रतिशत	%	***%
भारतीय उत्पादन में मलेशिया में नई क्षमता वृद्धि का प्रतिशत	रेंज	610-640

- घ. चीन से आयात, 2018-19 की तुलना में वर्ष 2021-22 में 99000 एमटी से घटकर 28000 एमटी हो गया। यह कमी मुख्य रूप से चीन के खिलाफ एंटी-डंपिंग शुल्कों के अस्तित्व के कारण थी। इसी अवधि के दौरान मलेशिया से आयात 2018-19 में 42000 एमटी से बढ़कर 2021-22 में 128000 एमटी हो गया। 2021 में, मलेशिया के खिलाफ सव्बिडी विरोधी शुल्क लगाए गए थे। 2021-22 में, चीन (एंटी-डंपिंग) और मलेशिया (एंटी-सव्बिडी) के खिलाफ मौजूद शुल्कों के साथ वियतनाम से आयात बढ़ने लगा।
- ड. जब से चीन के खिलाफ डंपिंग रोधी शुल्क हटा दिया गया है, चीन से आयात तेजी से बढ़ा है और इन आयातों के खिलाफ सव्बिडी रोधी शुल्क के कारण मलेशिया से आयात में कुछ हद तक गिरावट आई है। यदि मलेशिया के खिलाफ डंपिंग रोधी शुल्क नहीं बढ़ाया जाता है, तो मलेशिया से आयात में तेजी आने की संभावना है और वर्तमान निवेश के आर्थिक रूप से कमजोर होने का पर्याप्त जोखिम होगा और नए निवेश में या तो देरी होगी या गिरावट आएगी।

Quantity MT	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
Imports from China	65,520	99,213	76,778	29,324	28,372	209,317
Imports from Malaysia	37,929	41,789	119,968	128,273	91,949	81,937
Imports from Vietnam	-	-	-	656	78,093	103,277
Other Countries	1,077	1,430	1,272	546	23	993
Total Imports	104,526	142,432	198,017	158,799	198,436	395,524

- च. बाजार खुफिया जानकारी के अनुसार, मलेशिया के निर्यातकों के पास घरेलू मांग की तुलना में काफी अधिक क्षमता है और उस क्षमता के साथ, वे भारतीय बाजार को प्रभावित कर सकते हैं। मलेशिया में क्षमता का जोड़ भारतीय क्षमता और उत्पादन से कई गुना अधिक है। चूंकि भारत सौर ऊर्जा क्षेत्र में पर्याप्त निवेश के साथ एक बढ़ता हुआ बाजार है, इसलिए यह विशाल अधिशेष क्षमता वाले देशों के लिए हमेशा एक आकर्षक गंतव्य बना रहेगा।
- छ. भारतीय बाजार की मूल्य संवेदनशीलता इसे डंप और हानिकारक आयात के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। ऐसी परिस्थितियों में, लागू डंपिंग रोधी शुल्क को वापस लेने और मुख्य उत्पादकों के खिलाफ शुल्कों को न लेने से निश्चित रूप से डंपिंग की निरंतरता या पुनरावृत्ति होगी और घरेलू उद्योग को नुकसान होगा। शुल्क हटाए जाने के बाद बड़े पैमाने पर संभावित आयात की पूरी संभावना है।

ज. मलेशिया और चीन के खिलाफ शुल्क लगाए जाने के बाद, भारतीय निर्माताओं ने योजनाबद्ध तरीके से अपनी क्षमता बढ़ा दी है। जबकि बोरोसिल ने 2018 में अपनी क्षमता 180 एमटी/दिन से बढ़ाकर 2023 तक 1000 एमटी/दिन कर दी है, कई नए निर्माताओं (जैसा कि नीचे दिया गया है) ने अपनी सुविधाएं स्थापित की हैं। दी गई क्षमता विस्तार के साथ, भारतीय उद्योग भारत में मांग को पूरा करने में सक्षम होगा।

विवरण	क्षमता (एमटी/दिन में प्रति वर्ष)
त्रिवेणी रिन्यूएबल्स लिमिटेड	***
विशाखा रिन्यूएबल्स लिमिटेड	***
गोबिंद ग्लास लिमिटेड	***
इमर्ज ग्लास लिमिटेड	***
गोल्ड प्लस ग्लास लिमिटेड	***
कुल	***
बीआरएल की क्षमता	***
भारत में कुल क्षमता	***

झ. मलेशिया से आयात में गिरावट आई है क्योंकि चीन से आयात में वृद्धि हुई है, जहां शिनयी मलेशिया की मूल कंपनी स्थित है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि शिनयी मलेशिया ने मांग में वृद्धि के बावजूद अपने कम आयात के बारे में कुछ नहीं कहा है। यह आश्चर्यजनक है क्योंकि भाग-II प्रश्नावली के जवाब में उनके प्रस्तुतिकरण के अनुसार, भारत में उनका निर्यात बढ़ना चाहिए था क्योंकि मांग कई गुना बढ़ गई है। उनके द्वारा विशेष रूप से यह उल्लेख किया गया है कि "पीयूसी की वैश्विक मांग बढ़ रही थी और वैश्विक प्रवृत्ति के बाद शिनयी मलेशिया का संचालन बदल रहा है"। निर्यातक के इस दृष्टिकोण से केवल यह पता चलता है कि मलेशिया से कम निर्यात केवल चीन से निर्यात में वृद्धि के कारण है। यह घरेलू उद्योग की इस बात की भी पुष्टि करता है कि चीन मलेशिया और वियतनाम के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति को नियंत्रित कर रहा है ताकि प्रभावित देशों द्वारा वैध व्यापार उपायों से बचा जा सके।

ञ. डी. जी. टी. आर. की प्रथा के अनुसार और माननीय न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के अनुसार, अगर डी. जी. टी. आर. सूर्यास्त समीक्षा जांच के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर कर्तव्यों में बदलाव करता है तो कोई रोक नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए, सूर्यास्त समीक्षा जांच के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निर्यातक पर शुल्क बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुतियाँ

71. क्षति की संभावना के संबंध में इच्छुक पक्षों की प्रस्तुतियाँ नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैं:

क. घरेलू उद्योग ने संभावना के अपने दावे की पुष्टि नहीं की है और समर्थन में कोई सबूत/जानकारी प्रदान नहीं की गई है।

ख. शिनयी से डंपिंग और क्षति लगने की कोई संभावना नहीं है, जैसा कि मूल जांच में हुआ था।

प्राधिकरण द्वारा जाँच

72. प्राधिकरण ने धारा 9 ए (5) नियम 23 (1 बी) के तहत निर्धारित आवश्यकता और डंपिंग रोधी नियमों के अनुलग्नक-II (vii) के संदर्भ में भौतिक क्षति के खतरे से संबंधित मापदंडों और इच्छुक पक्षों द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करते हुए चोट के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना की जांच की है।

73. प्राधिकरण का मानना है कि यह एक सूर्यास्त समीक्षा जांच होने के नाते, जांच का ध्यान निरंतर डंपिंग और परिणामी क्षति के संभावित परिदृश्य की जांच करने पर है, अगर डंपिंग रोधी कर्तव्यों को समाप्त करने की अनुमति दी जानी है, भले ही कोई वर्तमान डंपिंग या चोट न हो। इसके लिए इस बात पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि क्या लगाया गया शुल्क हानिकारक डंपिंग को खत्म करने के इच्छित उद्देश्य को पूरा कर रहा है।

74. प्राधिकरण के संज्ञान में लाए गए सभी कारकों की जांच यह निर्धारित करने के लिए की गई है कि क्या शुल्क की समाप्ति की स्थिति में डंपिंग या क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना है। प्राधिकरण ने डंपिंग या क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए घरेलू उद्योग और अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न जानकारी पर विचार किया है।

75. संभावना विश्लेषण करने के लिए कोई विशिष्ट कार्यप्रणाली उपलब्ध नहीं है। हालांकि, नियमों के अनुलग्नक-II के खंड (vii) में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे कारक भी दिए गए हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना आवश्यक है।

क. भारत में डंप किए गए आयात की वृद्धि की एक महत्वपूर्ण दर आयात में काफी वृद्धि की संभावना का संकेत देती है:

i. रिकॉर्ड पर और नीचे दी गई तालिका में दिए गए आंकड़ों से, प्राधिकरण ने नोट किया कि 2020-21 को छोड़कर, मलेशिया से आयात में क्षति की अवधि और पीओआई में धीरे-धीरे गिरावट आई है।

- ii. हालाँकि, अन्य देशों से आयात में वृद्धि हुई है। चीन एंटी-डॉपिंग शुल्क को रद्द करने के बाद।

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	POI
मलेशिया	122402	144701	89679	77829
अन्य देशों से आयात	73202	37791	111158	323043
कुल आयात (MT)	195605	182491	200837	400872

- ख. किसी भी अतिरिक्त निर्यात को अवशोषित करने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, भारतीय बाजारों में डंप किए गए निर्यात में पर्याप्त वृद्धि की संभावना का संकेत देते हुए निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त स्वतंत्र रूप से डिस्पोजेबल, या एक आसन्न, पर्याप्त वृद्धि:

- i. प्राधिकरण ने नोट किया कि मलेशिया में क्षमता विस्तार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत जानकारी मुख्य रूप से शिनयी सोलर, मलेशिया द्वारा विस्तार पर निर्भर करती है। प्राधिकरण ने आगे नोट किया कि उक्त निर्माता को वर्तमान के साथ-साथ पिछली जांच में भी बेकार नहीं पाया गया है। इसलिए, शिनयी सोलर, मलेशिया द्वारा क्षमता में कोई भी विस्तार, जो भी हो, डॉपिंग के लिए एक अप्रासंगिक संभावना है।
- ii. निप्पॉन शीट ग्लास कंपनी लिमिटेड (एनएसजी) नामक एक नए उत्पादक द्वारा क्षमता वृद्धि के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा अपने आवेदन में प्रदान किए गए प्रासंगिक लिंक से केवल यह पता चलता है कि एनएसजी समूह निकट भविष्य में कोटिंग क्षमता स्थापित करेगा और सुविधा के संचालन के बाद सौर पैनल निर्माण के लिए टीसीओ ग्लास की शिपिंग शुरू करेगा और परिवर्तित लाइन से अपेक्षित आपूर्ति मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही के दौरान शुरू होगी। जहां तक नए उत्पादक, अर्थात् एनएसजी समूह द्वारा क्षमताओं की स्थापना के संबंध में घरेलू उद्योग की प्रस्तुतियों का संबंध है और यह कि उसने नवंबर 2023 से उत्पादन शुरू कर दिया है, प्राधिकरण ने नोट किया है कि चूंकि उक्त उत्पादक ने जांच अवधि में विषय वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है, इसलिए भविष्य में इसके निर्यात और अधिक डंप होने की संभावना पर कोई भी निष्कर्ष सबसे अच्छा होगा।
- iii. पाकिस्तान में डब्ल्यूटीओ पैनल-बीओपीपी फिल्म (यूएई) ने कानूनी स्थिति को और मजबूत किया है जहां यह देखा गया था कि:



"... एक सदस्य सूर्यास्त की कार्यवाही के दौरान संभावना विश्लेषण करते समय पूरी तरह से धारणा या अटकलों पर भरोसा नहीं कर सकता है, लेकिन इसके बजाय, सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर अपनी परीक्षा आयोजित करना चाहिए ताकि पर्याप्त तथ्यात्मक आधार पर एक तर्कपूर्ण निर्धारण पर पहुंचा जा सके, कि डॉपिंग और क्षति 'संभावित' हैं। संभावित और केवल संभव नहीं-जारी रखना या दोहराना।

- ग. क्या आयात कीमतों पर प्रवेश कर रहा है जिसका घरेलू कीमतों पर महत्वपूर्ण निराशाजनक या दमनकारी प्रभाव पड़ेगा और आगे आयात की मांग में वृद्धि होने की संभावना होगी:

- i. प्राधिकरण के नीचे दी गई तालिका से पता चलता है कि मलेशिया से भारत भूमि मूल्य घरेलू उद्योग के भारत औसत बिक्री मूल्य और भारत औसत लागत से लगातार नीचे है। इसी तरह, भारत औसत बिक्री मूल्य भी पूरी चोट जांच अवधि के दौरान भारत औसत लागत से कम है।
- ii. हालाँकि, प्राधिकरण ने नोट किया कि चोट की जांच अवधि के दौरान मलेशिया से भूमि मूल्य में वृद्धि हुई। जबकि घरेलू उद्योग का बिक्री मूल्य आधार वर्ष से 2021-22 तक बढ़ा, यह पीओआई में गिर गया।
- iii. प्राधिकरण विधिवत नोट करता है कि घरेलू उद्योग पर मूल्य दबाव है और वह इसकी लागत का एहसास करने में सक्षम नहीं है। हालाँकि, यह भी समान रूप से ध्यान दिया जाता है कि इस दबाव को विषय देश से आयात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि इसे अन-डंप किया गया पाया गया है।

Particulars	UoM	2019-20	2020-21	2021-22	POI
बिक्री की औसत लागत	Rs/MT	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	Indexed	100	119	132	142
बिक्री मूल्य	Rs/MT	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	Indexed	100	136	159	155
मलेशिया से आयात की औसत लैंडेड कीमत	Rs/MT	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	Indexed	100	128	129	138

76. इसके अलावा, प्राधिकरण ने डंपिंग की निरंतरता या पुनरावृत्ति और घरेलू उद्योग को परिणामी नुकसान की संभावना पर असर डालने वाले अन्य प्रासंगिक कारकों की भी जांच की है। जाँच इस प्रकार है।



राष्ट्र	जाँच	शुल्क लगाने की तिथि	ड्यूटी समाप्ति
चीन	पाटन रोधी शुल्क	18th August 2017	17th August 2022
मलेशिया	पाटन रोधी शुल्क	26th February 2019	25th February 2024
मलेशिया	प्रतिकारी शुल्क	9th March 2021	8th March 2026

77. उपरोक्त ग्राफ और तालिका से यह प्रतीत होता है कि चीन पीआर से विषय वस्तुओं के आयात पर एंटी-डॉपिंग शुल्क लगाने के बाद, वर्ष 2018-19 में चीन से विषय वस्तुओं की मात्रा में धीरे-धीरे गिरावट आई है। इसी अवधि के दौरान, मलेशिया से आने वाली वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि हुई। इसके बाद, प्राधिकरण ने निर्धारित किया कि माल मलेशिया से फेंका जा रहा था और डीजीटीआर की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने मलेशिया के खिलाफ डॉपिंग रोधी लागू किया। बाद में, मलेशिया के खिलाफ सस्सिडी-रोधी शुल्क भी लगाया गया। एक स्वाभाविक सवाल जो यहाँ उठ सकता है वह यह होगा कि डॉपिंग रोधी शुल्क लगाने के बावजूद, मलेशिया से मात्रा में वृद्धि जारी रही। इसी बात को इस तथ्य से समझाया जा सकता है कि मलेशिया के एकमात्र भाग लेने वाले निर्यातक मेसर्स शिनयी सोलर को शून्य शुल्क मिला था। जाँच के दौरान, यह भी पता चला कि मलेशिया से वस्तु आयात की लगभग पूरी मात्रा गैर-डॉप कीमतों पर भारत में प्रवेश कर रही थी, इस तथ्य को देखते हुए कि मलेशिया में वस्तु वस्तुओं का केवल एक ही उत्पादक था।
78. हालांकि, मार्च 2021 में मेसर्स शिनयी सोलर सहित मलेशिया के निर्यातकों/उत्पादकों के खिलाफ काउंटरवेलिंग शुल्क लगाए जाने के बाद, मलेशिया से आने वाली वस्तुओं की मात्रा में गिरावट आई। इस बात पर जोर दिया जाता है कि यह वह अवधि थी जिसमें मलेशिया के साथ-साथ चीन पीआर दोनों के आयात के खिलाफ व्यापार उपचारात्मक शुल्क मौजूद थे। चीन पीआर से आयात की मात्रा पिछले पांच वर्षों में 2021-22 में अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है। मलेशिया से आयात में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि इसी अवधि में, वियतनाम से विषय आयात की मात्रा में अचानक और महत्वपूर्ण वृद्धि हुई थी। वियतनाम से आयात की मात्रा 2020-21 में 656 एमटी से बढ़कर 2021-22 में 78,093 एमटी हो गई।
79. इसके बाद, चीन पीआर के खिलाफ एंटी-डॉपिंग कर्तव्यों को रद्द करने और मलेशिया के खिलाफ एंटी-डॉपिंग कर्तव्यों के अस्तित्व के साथ, चीन पीआर से विषय आयात की मात्रा में लगभग 600% की उल्कापिंड वृद्धि दर्ज की गई, जबकि मलेशिया से विषय आयात की मात्रा में गिरावट जारी है। ऐसा प्रतीत होता है कि चीन पीआर से विषय आयात के खिलाफ एंटी-डॉपिंग शुल्क बंद होने के बाद मलेशिया से विषय आयात को चीन पीआर से विषय आयात द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। घरेलू उद्योग के अनुसार, तीनों देशों के बीच यह परस्पर क्रिया इस तथ्य से भी निकटता से चिह्नित है कि इन देशों में उत्पादक/निर्यातक संबंधित चीनी संस्थाएं हैं और निर्णय लेने का काम उनके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह भी ध्यान दिया जाता है कि किसी अन्य इच्छुक पक्ष ने व्यापार प्रवाह में इस तरह के निरंतर परिवर्तन के लिए कोई अन्य आर्थिक तर्क नहीं दिया है। अभिलेख पर तर्क और उपलब्ध जानकारी तीनों देशों के बीच परस्पर संबंध की ओर संकेत करती है।
80. हालांकि, जहां तक घरेलू उद्योग के इस आरोप का संबंध है कि मलेशिया से विषय आयात के खिलाफ शुल्क जारी नहीं रखने की स्थिति में, चीन पीआर के खिलाफ एंटी-डॉपिंग शुल्क लगाए जाने की स्थिति में मलेशिया से आयात का पालन किया जाएगा, प्राधिकरण ने नोट किया कि जहां तक मलेशिया के माध्यम से चीन के आयात के डायवर्जन का संबंध है, घरेलू उद्योग की प्रस्तुतियाँ विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए अटकलें लगती हैं कि मलेशिया से सभी आयात मूल जांच में अन-डॉपिंग पाए गए थे और वर्तमान में गैर-डॉपिंग कीमतों पर भारत में भी प्रवेश कर रहे हैं। इसके अलावा, एंटी-डॉपिंग शुल्क को बंद करने के बाद भी मलेशिया से सभी विषय आयात अधिसूचना संख्या के संदर्भ में काउंटरवेलिंग शुल्क के अधीन रहेंगे। 3/2021 (CVD) दिनांक 9 मार्च 2021.

घ. जनहित विश्लेषण

घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ

81. विषय वस्तु सौर मॉड्यूल में उपयोग किए जाने वाले घटकों में से एक है जिसमें 40% मूल सीमा शुल्क है, हालांकि, विषय वस्तु में शून्य मूल सीमा शुल्क है। विशेष रूप से, विषय वस्तु सौर मॉड्यूल की लागत का एक बहुत छोटा हिस्सा है, यानी लगभग 6%। इसके अतिरिक्त, एंटी-डॉपिंग शुल्क का प्रभाव, यदि विषय वस्तुओं पर लगाया जाता है, तो मॉड्यूल लागत का केवल 1.50% होगा। विषय वस्तुओं पर शुल्क के बावजूद, अंतर्राष्ट्रीय सौर मॉड्यूल की कीमतों में पिछले एक वर्ष में लगभग 40% का परिवर्तन हुआ है, और इस प्रकार, अंतिम उत्पादों की कीमतों में परिवर्तन के इस स्तर पर 1.50% परिवर्तन महत्वहीन है। बिजली की प्रति इकाई लागत पर प्रभाव के संदर्भ में, विषय वस्तुओं पर एंटी-डॉपिंग शुल्क का प्रभाव रु। 0.016 प्रति यूनिट बिजली की न्यूनतम कीमत रु। अंतिम उपभोक्ता को 6.00 प्रति यूनिट। इस प्रकार, मॉड्यूल मूल्य पर 0.27% का प्रभाव या रु। 0.016 प्रति यूनिट एंटी-डॉपिंग ड्यूटी के कारण बहुत महत्वहीन है।

अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुतियाँ

82. इस संबंध में किसी अन्य इच्छुक पक्ष द्वारा कोई टिप्पणी नहीं दी गई है।

प्राधिकरण द्वारा जाँच

83. प्राधिकरण विधिवत नोट करता है कि यदि वस्तु वस्तुओं पर एंटी-डॉपिंग शुल्क लगाया जाता है तो अंतिम उपयोगकर्ताओं पर इसका प्रभाव बहुत कम होगा। हालांकि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि वर्तमान जांच में विषय देश भारत में विषय वस्तुओं को डॉप नहीं कर रहा है।

पाटन और क्षति की संभावना पर निष्कर्ष

84. उपलब्ध जानकारी पर विचार करते हुए, और अभिलेख पर साक्ष्य की उचित जांच के बाद, प्राधिकरण निम्नलिखित निष्कर्ष निकालता है:
- विषय देश से संपूर्ण आयात एकमात्र उत्पादक i.e. द्वारा किया गया है। शिनयी सोलर, पी. ओ. आई. में मलेशिया के साथ-साथ विषय जांच में पिछले तीन वर्षों में। स्पष्ट रूप से, उक्त सहकारी उत्पादक से इन आयातों को फेंका नहीं गया है।
 - मूल जांच में भी, उक्त निर्माता को डंपिंग नहीं करते हुए पाया गया था।
 - चूंकि विषय देश से कोई डंपिंग नहीं हो रही है, इसलिए इसके जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना एक दूरस्थ संभावना प्रतीत होती है।
 - जहां तक यह तर्क है कि शिनयी सोलर, मलेशिया ने विषय वस्तुओं के लिए अपनी क्षमताओं का प्रमुख रूप से विस्तार किया है, प्राधिकरण ने नोट किया है कि उक्त उत्पादक द्वारा किसी भी अतिरिक्त क्षमता के कारण संभावना असंगत हो जाती है क्योंकि इसे डंपिंग नहीं पाया गया है।
 - जहां तक नए उत्पादक, अर्थात् एनएसजी समूह द्वारा क्षमताओं की स्थापना के संबंध में घरेलू उद्योग की प्रस्तुतियों का संबंध है और यह कि उसने नवंबर 2023 से उत्पादन शुरू कर दिया है, प्राधिकरण ने नोट किया है कि चूंकि उक्त उत्पादक ने जांच अवधि में विषय वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है, इसलिए निर्यात की संभावना और भविष्य में इस तरह से अधिक डंप करने के बारे में कोई भी निष्कर्ष सबसे अच्छा होगा।

ठ. पोस्ट डिसक्लोज़र एनालिसिस

85. इच्छुक पक्षों से प्रकटीकरण के बाद की प्रस्तुतियाँ प्राप्त हुई हैं और उनका विश्लेषण निम्नानुसार किया गया है:

अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुतियाँ

86. इच्छुक पक्षों ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं:

- सहकारी निर्माता/निर्यातक i.e., Xinyi सोलर मलेशिया ने प्रकटीकरण बयान में प्राधिकरण के प्रस्तावों पर पूरी तरह से सहमति व्यक्त की है। इसने प्राधिकरण से खुलासा बयान में शिनयी सोलर (मलेशिया) एसडीएन बीएचडी, मलेशिया के संबंध में डंपिंग मार्जिन के निर्धारण के आधार पर अंतिम निष्कर्ष जारी करने का अनुरोध किया है।
- अन्य के संबंध में, सहयोगी उत्पादक/निर्यातक ने प्राधिकरण से उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की जांच करने का अनुरोध किया।

घरेलू उद्योग की प्रस्तुतियाँ:

87. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं:

- संयंत्र, मशीनरी उपभोग्य सामग्रियों और स्पेयर पार्ट्स के उचित मूल्यांकन को उत्पादन लागत में उचित रूप से समायोजित नहीं किया गया था और इसलिए परीक्षण का सामान्य पाठ्यक्रम (ओसीटी) और सामान्य मूल्य सही नहीं होगा और इसलिए एडी नियमों के अनुलग्नक 1 के संदर्भ में गणना नहीं की जा सकती है।
- प्राधिकरण ने संयंत्र और मशीनरी के मूल्य की शुद्धता के संबंध में निर्यातक से प्रमाणन के लिए नहीं कहा। घरेलू उद्योग ने मलेशिया की मूल्यांकन एजेंसी के नाम भी दिए हैं। चूंकि शिनयी मलेशिया ने चीन से मशीनरी खरीदी थी, इसलिए उनकी लागत मशीनरी के उचित मूल्यांकन से कम है और तदनुसार, उनका मूल्यहास और ब्याज लागत वास्तविक नहीं है और वास्तविक बाजार मूल्यों को दर्शाती है जैसा कि एडी नियमों के अनुलग्नक 1 में परिकल्पना की गई है। घरेलू उद्योग ने भी मशीनरी की खरीद के आधार पर अनुमानित मूल्यहास लागत प्रदान की है और प्राधिकरण से निर्यातक की उत्पादन लागत में प्रति मीट्रिक टन मूल्यहास की जांच करने का अनुरोध किया है। इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि शिनयी मलेशिया के डेटा/जानकारी की स्वीकृति को माननीय सीईएसटीएटी में चुनौती दी गई है, जिसमें आदेश सुरक्षित हैं। प्राधिकरण को अपनी सिफारिशें करते समय इस पहलू पर विचार करना चाहिए।
- घरेलू उद्योग ने सबूत दिए कि शिनयी ग्लास इंडिया विषय वस्तुओं के विपणन और बिक्री में शामिल है, जिससे निर्यातक ने इनकार नहीं किया। प्राधिकरण ने भारत में शिनयी ग्लास इंडिया के संचालन के संबंध में डी. आई. की दलीलों पर विचार नहीं किया। डी. आई. ने शिनयी ग्लास इंडिया को उनके निर्यात मूल्य और भूमि मूल्य की गणना करते समय बिक्री, विपणन और पारिश्रमिक में किए गए खर्चों में कटौती करने का अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त, डी. आई. ने प्राधिकरण से अनुरोध किया कि वह गलत घोषणा के लिए शिनयी के खिलाफ अवशिष्ट कर्तव्यों की सिफारिश करे।

- iv. चीनी और मलेशियाई वस्तुओं पर शुल्क ने भारतीय उत्पादकों को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है और आत्मनिर्भर भारत को प्राप्त करने में मदद की है। हालांकि, आयात की कीमतें घरेलू उद्योग की लागत से कम हैं। डंपिंग रोधी शुल्क लगाने से भारतीय उत्पादकों को वैकल्पिक बाजार खोजने का मौका मिला, मलेशिया और वियतनाम में निवेश ने घरेलू उद्योग की प्रस्तुतियों का समर्थन किया।
- v. यह तथ्य कि जांच की अवधि के दौरान मलेशिया में केवल एक ही उत्पादक है, जिसका डंपिंग मार्जिन नकारात्मक हो सकता है, इसका कोई कानूनी परिणाम नहीं है। संभावना विश्लेषण के उद्देश्य से, इस तथ्य के संदर्भ के बिना स्थिति पर विचार करना उचित होगा कि पीओआई के दौरान एकल उत्पादक के पास शून्य डंपिंग मार्जिन था।
- vi. घरेलू उद्योग ने एक अन्य निर्माता, एनएसजी सोलर ग्लास के उत्पादन शुरू करने के प्रमाण प्रदान किए हैं, जो डंपिंग और चोट की संभावना के निष्कर्ष का समर्थन करता है। मलेशिया में नए निवेश सविस्डी और प्रोत्साहन लेने के बाद ही चालू हुए हैं। एनएसजी समूह (निप्पाँ) ने नवंबर 2023 में परिचालन शुरू किया और पहले ही सविस्डी के लिए बातचीत कर चुका है। शुल्कों का निरसन घरेलू उद्योग, अन्य घरेलू उत्पादकों और आगामी क्षमताओं के लिए हानिकारक हो सकता है।
- vii. घरेलू उद्योग ने 25% शुल्क के कारण 1% मॉड्यूल मूल्य वृद्धि या 1.60 पैसे प्रति यूनिट के साथ अंतिम उपभोक्ताओं पर एंटी-डंपिंग शुल्क के न्यूनतम प्रभाव की भविष्यवाणी की है।

प्राधिकरण द्वारा जाँच

88. प्राधिकरण ने नोट किया कि प्रकटीकरण के बाद की टिप्पणियों के रूप में ऊपर दिए गए सभी कथन पहले ही उठाए जा चुके हैं और इन अंतिम निष्कर्षों के प्रासंगिक पैराग्राफ में उचित रूप से संबोधित किए गए हैं। इच्छुक पक्ष ऐसे प्रासंगिक पैराग्राफ का उल्लेख कर सकते हैं।

ड. निष्कर्ष

89. इन अंतिम निष्कर्षों में दर्ज की गई दलीलों, प्रदान की गई जानकारी, प्रस्तुतियों और प्राधिकरण के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और डंपिंग के निर्धारण और मौजूदा कर्तव्यों की समाप्ति की स्थिति में डंपिंग और क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना के आधार पर, प्राधिकरण ने निष्कर्ष निकाला है:
 - क. आवेदक घरेलू उत्पादक नियमों के नियम 2 (बी) के तहत घरेलू उद्योग का गठन करता है और उनके द्वारा दायर आवेदन नियमों के नियम 5 (3) के संदर्भ में खड़े होने के मानदंडों को पूरा करता है।
 - ख. विचाराधीन उत्पाद को सामान्य मूल्य से अधिक कीमतों पर भारत में निर्यात किया जाना जारी है, जिसके परिणामस्वरूप विषय देश से कोई डंपिंग नहीं होती है।
 - ग. वर्तमान मामले में, उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि मेसर्स शिनयी सोलर मलेशिया को छोड़कर विषय वस्तु का कोई अन्य निर्यातक/उत्पादक नहीं है, जिसके लिए डंपिंग मार्जिन नकारात्मक पाया गया है, जिसका अर्थ है कि समग्र रूप से विषय देश का डंपिंग मार्जिन नकारात्मक है। मूल जाँचमे सेहो कहल गेल एकमात्र उत्पादकके अन-डंप दाम पर भारतके निर्यात करैत देखल गेल छल। ऐसी स्थिति में जहां न तो वर्तमान डंपिंग है और न ही डंपिंग की संभावना है, मौजूदा शुल्कों का विस्तार नहीं होता है।

द. सिफारिश

90. विभिन्न इच्छुक पक्षों की दलीलों की जांच करने और उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों और विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण ने निष्कर्ष निकाला है कि वर्तमान मामले के तथ्यों में वर्तमान का अभाव है और साथ ही घरेलू उद्योग को डंपिंग और नुकसान की संभावना है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण विषय देश से विषय वस्तुओं के आयात पर मौजूदा डंपिंग रोधी शुल्क का विस्तार करना उचित नहीं समझता है। इसलिए, एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 23.1 बी के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 9 ए (5) के संदर्भ में, नामित प्राधिकरण वर्तमान एंटी-डंपिंग कर्तव्यों का विस्तार नहीं करने की सिफारिश करता है।

ण. आगे की प्रक्रिया

91. इस अधिसूचना के खिलाफ अपील सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलिय न्यायाधिकरण के समक्ष होगी।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)
FINAL FINDINGS

New Delhi, the 25th November, 2023

Case No. - A.D (SSR)-05/2023

Subject: Sunset review investigation concerning imports of Textured Tempered Coated and Uncoated Glass from Malaysia.

F. No. 7/11/2023.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as 'the Rules' or 'AD Rules') thereof;

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. M/s Borosil Renewables Limited (hereinafter also referred to as “the domestic industry” or “the applicant”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the ‘Rules’) for sunset review of anti-dumping investigation concerning the imports of Textured Tempered Coated and Uncoated Glass (hereinafter referred as the “subject goods” or the “product under consideration or PUC”), originating in or exported from Malaysia (hereinafter referred to as the “subject country”).
2. The applicant has alleged likelihood of continuation or recurrence of dumping of subject goods, originating and exported from the subject country and consequent injury to the domestic industry and has requested for review and continuation and enhancement of the anti-dumping duty imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.
3. Section 9A (5) of the Act, inter alia, provides that the anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition, and the Authority is required to review whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of duty is likely to lead to the continuation or recurrence of dumping and injury.
4. Rule 23(1B) of the Rules provides as follows:

"... any definitive anti-dumping duty levied under the Act shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the Designated Authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry."
5. Based on the substantiated application with prima facie evidence of likelihood of dumping and injury filed on behalf of the domestic industry in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority initiated the present sunset review investigation vide Notification No. 7/11/2023-DGTR (AD-SSR No. 05/2023) dated 19.09.2023 to examine whether the expiry of the said duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry and whether there is a need for the continued imposition of anti-dumping duty in respect of the subject goods originating in or exported from Malaysia.
6. Earlier, the Authority initiated an anti-dumping investigation in respect of imports of the subject goods from Malaysia on 05.02.2018 and after conducting the investigation recommended imposition of duty vide final findings notification no. 6/45/2017-DGAD dated 17.01.2019. On the basis of recommendations made by the Authority, the following definitive anti-dumping duties were imposed by the Central Government vide notification no. 12/2019-Customs (ADD) dated 26.02.2019.

S. No.	Producers	UOM	Amount (in USD)
1	M/s Xinyi Solar Sdn. Bhd., Malaysia	USD / MT	0
2	Any Producer other than M/s Xinyi Solar Sdn. Bhd., Malaysia	USD / MT	114.58

7. The scope of the present review covers all aspects of the aforementioned original investigation concerning the subject goods.

B. PROCEDURE

8. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:
- i. The Authority issued a notification dated 19.09.2023, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating an investigation concerning imports of the subject goods from Malaysia.
 - ii. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassy of the subject country in India, known producers/exporters from Malaysia, known importers/users, and the domestic industry as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within 30 days of the initiation notification in accordance with Rule 6(2) of the AD Rules. The time limit to file information was extended up to 25.10.2023.
 - iii. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters, known importers, and to the embassy of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules.
 - iv. The embassy of Malaysia in India was also requested to advise the exporters/producers from Malaysia to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from Malaysia.
 - v. The interested parties were requested to provide relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known in writing within the prescribed time, in accordance with Rules 6(2) and 6(4) of the Rules.
 - vi. The Authority sent exporter's questionnaire to the following known producers/ exporters in Malaysia, whose details were made available by the applicant, to elicit relevant information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - a. Xinyi Solar Malaysia Sdn. Bhd.
 - b. Gar Lightglass Sdn Bhd
 - vii. In response, only Xinyi Solar Malaysia Sdn. Bhd has filed the exporter's questionnaire response.
 - viii. The Authority forwarded a copy of the initiation notification to the following known importers/users/user associations of the subject goods in India, whose names and addresses were made available to the Authority, and advised them to make their views known in writing within the time limit prescribed by the Authority in accordance with the Rule 6(4):
 - a. Mundra Solar PV Limited
 - b. Swelect Energy Systems Limited
 - c. Premier Energies Limited
 - d. Renewsys India Private Limited
 - e. Goldi Solar Private Limited
 - f. Waaree Energies Limited
 - g. Alpex Exports Pvt Ltd
 - h. Vikram Solar Pvt Ltd
 - i. Topsun Energy Limited
 - j. Tata Power Solar Systems Limited
 - k. Emmvee Photovoltaic Power Pvt Ltd
 - l. Navitas Green Solutions Pvt Ltd
 - m. Sova Power Limited
 - ix. None of the users / importers / consumers have filed the importer's/ user's questionnaire response.
 - x. Exporters, foreign producers and other interested parties who have not responded to the Authority, or have not supplied information relevant to this investigation, are treated as non-cooperating interested parties.

- xi. The Authority issued the Economic Interest Questionnaire to the Malaysian embassy, all the known exporters, importers and the domestic industry. None of the other interested parties barring the domestic industry have filed the response to the Economic Interest Questionnaire.
- xii. Information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority accepts the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on the confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on a confidential basis.
- xiii. The interested parties were asked to share the non-confidential version of the responses, submissions and evidence presented by them with the other interested parties.
- xiv. The period of investigation (POI) for the purpose of the present investigation is 1st April 2022 to 31st March 2023 (12 months). The injury period for the present investigation is 1st April 2019 - 31st March 2020, 1st April 2020 - 31st March 2021, 1st April 2021 - 31st March 2022, and the POI.
- xv. Additional/supplementary information was sought from the applicant and other interested parties to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by the domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the investigation.
- xvi. The Non-injurious Price (NIP) is based on the cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the AD Rules. It has been worked out so as to ascertain whether a duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- xvii. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and from DG-Systems, Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the injury period. The same has been relied upon for computation of the volume and value of imports to correlate the quantum of exports from specified exporters and validate responses filed, to the extent feasible.
- xviii. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided the opportunity to all interested parties to present their views orally in the oral hearing held on 03.11.2023 which was attended by interested parties. All the parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of these views. Non-confidential versions of the written submissions were circulated to the interested parties by email on 6.11.2023, and an opportunity was given to them to submit rejoinder submissions by 8.11.2023, if any.
- xix. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded these final findings on the basis of the facts available.
- xx. The Authority issued the disclosure statement to all the interested parties containing all essential facts under consideration for making final recommendations to the Central Government on 18th November 2023. The interested parties were directed to file their comments on the disclosure statement by 22nd November 2023.
- xxi. The Authority has examined the post-disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent deemed relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submission and which had been adequately examined by the Authority in these final findings and has not been repeated for the sake of brevity.
- xxii. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by the interested parties, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation.
- xxiii. ‘***’ in the final findings represents information furnished by an interested party on a confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.
- xxiv. The exchange rate adopted by the Authority during the POI for the subject investigation is US\$= Rs. 81.15.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND THE LIKE ARTICLE

9. The product under consideration in the present sunset review is “Textured Toughened (Tempered) Glass with a minimum of 90.5% transmission of thickness not exceeding 4.2 mm (including tolerance of 0.2 mm) and where at least one dimension exceeds 1500 mm, whether coated or uncoated” originating in or exported from Malaysia.
10. The product in the market parlance is also known by various names such as solar glass, solar glass low iron, solar PV glass, high transmission photovoltaic glass, tempered low iron patterned solar glass etc. Textured tempered glass is used as a component in solar photovoltaic panels and solar thermal applications. The level of transmission can be achieved by keeping the iron content low, typically less than 200 ppm. The transmission level goes up by about 2%-3% when coated with an anti-reflective coating liquid.

Submissions made by producers/exporters/importers/other interested parties

11. No submission has been made by the producers/exporters with regard to the scope of the product under consideration and like article.

Submissions made by the Domestic Industry

12. The product under consideration in the present sunset review is “Textured Toughened (Tempered) Glass with a minimum of 90.5% transmission of thickness not exceeding 4.2 mm (including tolerance of 0.2 mm) and where at least one dimension exceeds 1500 mm, whether coated or uncoated” originating in or exported from Malaysia.
13. The product in the market parlance is also known by various names such as Solar Glass, Solar Glass Low Iron, Solar PV Glass, High Transmission Photovoltaic Glass, Tempered Low Iron Patterned Solar Glass, etc. Textured Tempered Glass is used as a component in Solar Photovoltaic Panels and Solar Thermal applications. The level of transmission can be achieved by keeping the iron content low, typically less than 200 ppm. The transmission level goes up by about 2%-3% when coated with an anti-reflective coating liquid.
14. The subject products are predominantly imported under tariff classification at the 8-digit level is 70071900 even though the same are being classified and imported under various sub-headings of the Customs Tariff Act, 1975, as can be seen from the import data. However, it is noted that subject goods are also being imported in the sub-headings 70031990, 70051010, 70051090, 70052190, 70052990, 70053090, 70071900, 70072190, 70072900, 70169000, 70200090 and 85414011 as evidenced by the import data. Moreover, it is also submitted that the custom classification is indicative only and in no way, it is binding upon the product scope and the product description prevails in circumstances of conflict
15. There is no known difference between the subject goods produced by the domestic industry and those imported from Malaysia. The subject goods produced by the domestic industry and the subject goods imported from the subject country are comparable in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, distribution and market and tariff classification of the goods. The applicant has claimed that the subject goods, which are coming into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the subsidized imports and the domestically produced subject goods and the product under consideration manufactured by the applicant. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as ‘like article’ under the Rules.

Examination of the Authority

16. The product under consideration in the original investigation as well as in the present investigation was defined as “Textured Toughened (Tempered) Glass with a minimum of 90.5% transmission of thickness not exceeding 4.2 mm (including tolerance of 0.2 mm) and where at least one dimension exceeds 1500 mm, whether coated or uncoated (hereinafter referred to as the “subject goods or product under consideration”).
17. The product under consideration is classified under the category “Glass and Glassware” in Chapter 70 of the Customs Tariff Act, 1975, and further under 7003, 7005, 7007, 7016, 7020 and 8541 as per Customs Classification. However, Customs classification is indicative only and not binding on the scope of the investigation.

With regard to like article, Rule 2(d) of the Anti-dumping Rules provides as under:

“like article” means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation.”


18. The Authority notes that there is no known difference in between the product under consideration being produced by the Indian industry and those being exported from Malaysia. The product under consideration

produced by the Indian industry and imported from Malaysia are comparable in terms of characteristics such as physical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The subject goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from the subject country within the scope and meaning of Rule 2(d) of anti-dumping rules.

19. No party has disputed the definition of the product under consideration as proposed by the applicant and as defined by the Authority at the stage of the initiation of the investigation. It is further noted that the product under consideration defined in the present investigation is similar to the product under consideration defined in previous investigation. In view of the above, the Authority confirms the scope of the PUC as defined at the stage of initiation.


D. MANUFACTURING PROCESS OF THE PRODUCT UNDER CONSIDERATION

20. The manufacturing process of the subject goods is depicted in the flowchart below:



Usage of the subject goods

21. The subject goods are predominately used as one of the inputs in the manufacturing of the solar module. As per the information made available to the Authority by the interested parties, the subject goods accounts for 4% to 5 % of the total value of the solar module. The pictorial diagram of the inputs used in the Solar Module is as follows.



E. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

22. The current application has been filed by M/s Borosil Renewables Limited which commands 100% share in Indian production of the subject goods during the period of investigation. As per the information available with the Authority there is no other known producer of the product under consideration in the country in the POI.
23. As per the available information, the applicant, has neither imported the subject goods from the subject country nor it is related to any importer or exporters of the subject goods. In view of the above, the applicant fulfils the criteria of domestic industry and the standing as laid down under the Rules.
24. None of the producers/exporters/other interested parties has made any submissions with regard to the scope and the standing of the domestic industry.
25. In view of the above, the Authority has considered the applicant as the domestic industry within the meaning of the Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.
26. Information on record shows that the production by the applicant constitutes “a major proportion” of total Indian production.
27. On examination of the material on record as above, and considering the legal provisions, the Authority notes that the applicant constitutes the domestic industry in terms of Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

F. CONFIDENTIALITY**Submissions made by the domestic industry**

28. The domestic industry has made the following submissions with regard to the confidentiality claims of the respondents:
- As far as their submissions/information are concerned, confidentiality has been claimed in accordance with the provisions of Rule 7 of the Rules and the trade notices issued in this regard.
 - All the economic parameters considered by the Authority for the purpose of arriving at the determination of injury have been provided in compliance with trade notice 10/2018 dated 7.09.2018.
 - Response filed by the participating producers fails to comply with requirements laid down by the Authority with regard to confidentiality. Responses to most of the questions in the questionnaire have been claimed completely confidential with no meaningful summary provided.
 - The domestic industry has fulfilled the obligation of providing import data in manner stated in trade notice 07/2018. The interested parties are free to obtain data from DGCI&S or from the Authority.

Submissions made by exporters/importers and other interested parties

29. The producers/exporters/other interested parties have made the following submissions with regard to confidentiality claims of the domestic industry.
- The applicant has claimed excessive confidentiality with respect to the information provided in Format A to L and NIP information. Moreover, the domestic industry has not provided trend of data wherein information was to be given for more than one year.
 - Since the domestic industry has not followed trade notice 03/2021 dated 12.04.2021, the current investigation needs to be terminated.
 - The domestic industry has claimed supporting evidence for normal value and export price as confidential, which ought to be provided for comments from interested parties.
 - The exporter has filed its data as per the applicable trade notices and as per the practice of the DGTR.

Examination by the Authority

30. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provides as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its

confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

31. Submissions made by the domestic industry and other interested parties with regard to confidentiality, to the extent considered relevant, were examined by the Authority and addressed accordingly. The Authority notes that the information provided by all the interested parties on a confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. All interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.
32. The Authority notes that the domestic industry and other interested parties have provided non-confidential version of all the information that is relevant for the purpose of the present investigation.

G. MISCELLANEOUS SUBMISSION

Submissions of the domestic industry

33. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry:
 - a. The duties against the subject goods from China and Malaysia have worked positively for the Indian producers. Although the import price of the subject goods from China and Malaysia is still below that of the cost of sales and selling price of the domestic industry, the imposition of ADD on the subject goods, lent some breathing space to the producers of the subject goods in India.
 - b. Post imposition of the duties, the domestic industry as well as other potential players, considering the demand of the subject goods in the country and its growth perspective, invested in the manufacturing capacities for the subject goods. Prior to the imposition of ADD against Malaysia in 2019 the manufacturing capacity for the subject goods was a mere *** MT/ per annum with Borosil being the only producer. Post imposition of duties, while Borosil expanded its capacity, five new players joined and are about to commence production.

Submissions of the other interested parties

34. The following miscellaneous submissions have been made by the other interested parties
 - a. The Authority should not rely on the data based on market intelligence filed by the applicant and should source reliable and authenticated data from DGCI&S and examine the same to conclude the present investigation.
 - b. Not all evidence can justify the initiation of an investigation. Rather, the evidence presented to the Authority must be of an adequate quality to constitute “*sufficient evidence*”. The allegations set out in the application are largely based on estimates and assumptions. Moreover, the applicant failed to draw logical conclusions from the data submitted. Thus, the producer/exporter submits that the applicant has failed to provide sufficient evidence to justify the initiation of the present investigation.

Examination by the Authority

35. The Authority has examined the various issues raised by the interested parties in the following paragraphs:
36. In the case of initiation of sunset review investigation for the continuation of anti-dumping duties, the Authority needs to *prima facie* satisfy itself that the expiry of the duty ‘would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury’. This conclusion of initiating the investigation would be reached by the Authority after perusing the duly substantiated application filed by the domestic industry.
37. At the time of initiation, the applicant is *prima-facie* required to make a case that cessation of anti-dumping duty would result in recurrence of dumping and injury to the domestic industry. For the purpose of initiating the present sunset review investigation, the Authority thoroughly scrutinized the import/export data of the subject country and *prima facie* satisfied itself that even after the existence of anti-dumping duties against the subject country, the trend of imports of the subject goods in the domestic market was constantly positive during the injury period and the period of investigation.

38. Notably, the sunset review investigation requires the likelihood analysis, of continuation or recurrence of dumping and injury, therefore, the presence/absence of dumping and injury is not of sole significance unlike in an original investigation. Hence, while initiating the present investigation, the Authority had *prima facie* sufficient evidence to investigate the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury.
39. It is further noted that none of the interested parties has provided any information / evidence to show how initiation based on the information presented by the applicant has violated any rule or how has it prejudiced the interests of any interested party. The Authority, therefore, notes that there is no merit in the submissions of the other interested parties on this count.
40. As regards the request of the exporter to not rely on the import data submitted by the applicant, the Authority notes that it has relied upon DGCI&S import data for the purpose of the present final findings.

H. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

41. As per section 9A(1)(c) of the Act, the normal value in relation to an article means:

(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when destined for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either -

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (b):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

Submissions by the domestic industry

42. The submissions made by the domestic industry with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows: -
- i. The Malaysian exporters continue to dump the subject goods in the Indian market despite the imposition of anti-dumping duties. In fact, the export price of the Malaysian exporters to India has declined post-imposition of ADD despite the increase in cost.
 - ii. Interestingly, the cooperating exporter has not even claimed that they are not dumping the subject goods in India.
 - iii. From the information available with the domestic industry, it is observed that Xinyi Malaysia has obtained an interest-free loan from their fellow subsidiary and immediate holding company. It is an admitted fact that they are not paying any interest on their loans obtained from the related parties. As a result of this, the incidence of financial cost is missing from their audited accounts. Since they are not paying any interest, which is otherwise due in normal circumstances, the domestic industry requested the Authority to add interest cost to the total cost of the subject goods before conducting any of the mandatory tests necessary for determining normal value in Malaysia. It has been further submitted that the Authority had adjusted the interest cost for Malaysia in the original investigation also.
 - iv. The domestic industry has requested the Authority to adopt the same approach adopted in the case of Recordable Digital Versatile Disc (DVD) of all kinds from Malaysia Thailand and Vietnam [F. No.14/16/2009-DGAD, dated 2.7.2010], wherein the Authority had added a notional interest cost of 5% to the cost of production even though there was no borrowing by the company.
 - v. In relation to the procurement of raw materials from China, the domestic industry has submitted that they have noted from the annual report of the Xinyi Group that they are procuring materials from their related parties situated in China. Since the Authority is treating China as a non-market economy, they have requested the Authority to disregard the price of raw materials procured from China and make appropriate adjustments to their cost of production after considering the prevailing international prices. The domestic industry has further requested the Authority that the raw material prices cannot be accepted on their face value also on the ground that the raw materials have been procured from a related party. In this connection, the domestic industry has invited the attention of the Authority to the investigation related to 'Rubber Chemicals, namely, MBT, CBS, TDQ, PVI and TMT, originating in or

- exported from China PR and imports of PX-13 (6PPD) originating in or exported from China PR and Korea RP [F. No. 15/1/2013-DGAD, dated 29.4.2014] and [F. No. 6/20/2020 DGTR dated 26.07.2021], wherein the Authority had rejected the prices of major raw material procured from China, on the ground that prices from a non- market economy country would not reflect the fair cost. The domestic industry has requested that the same approach should be extended in this investigation also.
- vi. The domestic industry has requested the Authority to check whether exporters have claimed SG&A and profit for unrelated exporters.
 - vii. It has further been requested by the domestic industry that the cost of assets for the purpose of depreciation should also be adjusted after considering the fair value of machinery, which is imported from China. This approach will be in line with the stand taken by the Authority in the recent findings.
 - viii. The Authority should appropriately add the finance cost to the cost of production of the exporters, as they are getting interest-free loan from the related parties.
 - ix. The Authority should check the adjustment claimed for computing ex-factory export price as during this period, the freight cost and other expenses were high during the POI as compared to the previous years.
 - x. The parent company in China has supplied all the plant and machinery to their Malaysia subsidiary under a related party transaction. A list of certified agencies in Malaysia has also been provided by the domestic industry so that the exporter can give the certificate about the machinery to the satisfaction of the Authority.
 - xi. The exporter/producer Xinyi Solar (Malaysia) has an Indian office with the name of 'Xinyi Glass (India)' and as per the market information, Xinyi Glass (India) is involved in the solicitation business of the PUC for the exporter.

Submissions of the other interested parties

43. The submissions made by the other interested parties with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows:
- i. The domestic industry has failed to provide any reliable information in relation to normal value and export price of the subject goods in Malaysia and, therefore, the same should not be considered for final determination.
 - ii. The Authority should consider the information filed by the producers/exporters for determining the dumping margin.
 - iii. Xinyi Solar Malaysia has purchased inputs through Guangxi Xinyi Trading Co. Ltd. which is based in China. The said procurement is at an arm's length price. These goods supplied by Guangxi Xinyi Solar Trading Co. Ltd. are not produced by that company but rather purchased from unrelated suppliers at arm's length basis.
 - iv. Xinyi Solar Malaysia has purchased the plant and machinery at market price with the approval of the Government of Malaysia. Moreover, this issue has already been settled in the original investigation, and the relevant extracts from the final findings is reproduced as under:

"As regards information of purchase of plant and machinery and spares from related party, the Authority notes that it is practically impossible to obtain the international prices of spares and plant and machinery since such goods are by and large customised by the buyer for their own use. The Authority therefore holds that while benchmark on international prices of raw materials are available, similar credible information for spares/machinery cannot be obtained in view of technical specifications and customised requirements. The Exporter's Questionnaire during the course of instant investigation got revised. However, transaction wise information on spares/equipment's procured from related parties was obtained from the exporter keeping in view submissions of interested parties in particular the domestic industry. The Independent Auditor of M/s Xinyi Solar (Malaysia) has certified that financial statement of the company are in accordance with the Malaysian Financial Reporting Standards, International Financial Reporting Standards and the requirement of the Companies Act, 2016 in Malaysia.

Further, Independent Auditor of Xinyi Solar in its Audit report 2017 has not made any adverse comments on the Value of plant and machinery appearing in audited books and accounts of Xinyi Solar (Malaysia) Sdn. Bhd.

Depreciation is always worked out as per applicable laws, acts and regulation and is generally not calculated as a percentage of sales. As per Xinyi Solar (Malaysia)'s Annual Report 2017 depreciation of Plant and machinery is provided on a straight-line method @ 7% - 10%.

The accounting policy of the company reflects that historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange of assets."

- v. The major raw material in the production of the PUC is 'raw glass' which is produced by Xinyi Solar itself. Moreover, Xinyi Solar procures a very small quantity of raw material (approximately ***-***% of total raw material consumption) from China PR, that too is sourced from the local suppliers who don't have export license.
- vi. The issue pertaining to interest-free loan has already been examined by the Authority in the CVD investigation concerning imports of Textured Tempered Glass whether coated or uncoated from Malaysia, which is *sub judice* before CESTAT.
- vii. Xinyi Glass (India) is not an Indian company; it is a company incorporated in Hong Kong. Just because the name of the company has the word 'India' in it, that does not mean that it is established in India. It is further clarified that Xinyi Glass (India) had applied to RBI to set up a liaison office in India but the said application was withdrawn and subsequently closed.

Examination by the Authority

1. Procurement of raw materials from related and unrelated parties majorly from China

44. The Authority notes that Para 1 of Annexure-I states as under:

"elements of costs referred to in the context of determination of normal value shall normally be determined on the basis of records kept by the exporter or producer under investigation, provided such records are in accordance with the generally accepted accounting principles of the exporting country, and such records reasonably reflect the cost associated with production and sale of the article under consideration."

45. The Authority, therefore, notes that if the records maintained by the cooperating producer/exporter reasonably reflect the cost associated with the production and sales of the product under consideration, the Authority can accept the prices reflected in such records. It is further noted that as regards the claim of the domestic industry that the raw materials are being procured by Xinyi Solar, Malaysia from their related entity in China PR, the cooperating producer/exporter i.e., Xinyi Solar, Malaysia has submitted that it has procured raw materials like low iron dolomite, low iron limestone, and sodium sulphate from its related parties. However, these raw materials do not constitute the major proportion of cost in the production of the PUC. In view of the same, the final findings of 'Rubber Chemical PX-13' from China PR, Korea RP, and USA, wherein the Authority considered the market price of 4ADPA (one of the major chemicals used in the making of Rubber Chemical PX-13) instead of considering the actual import price of 4ADPA cannot be relied upon in the present investigation as 4ADPA constituted a major proportion in the cost of production of the Rubber Chemical i.e., PX-13.

2. Interest-free loan to Xinyi Solar Malaysia from their fellow subsidiaries.

46. As regards the issue of adjustment in cost and normal value on account of interest-free loans, the Authority notes that the loan has been procured from the related party in Hong Kong without any interest. This was only possible because Xinyi had a related party situated in Hong Kong. Had there been no related party of Xinyi, Malaysia in Hong Kong the procurement of loan from Hong Kong would either have not been possible or if at all Xinyi, Malaysia would have been able to get the loan, the interest charged would have differed on the basis of the risk factor involved. It is further noted that even *Para 1 of Annexure-I of the AD Rules, 1995* states that the elements of costs referred to in the context of determination of normal value shall normally be determined on the basis of records kept by the exporter or producer under investigation, **provided such records are in accordance with the generally accepted accounting principles of the exporting country, and such records reasonably reflect the cost associated with production and sale of the article under consideration.** Therefore, the interest free loan procured by Xinyi Malaysia from its principal shareholding company based in Hong Kong is appropriately accounted for with the prevailing interest rate for working out the cost of production of the PUC for determining its normal value.

3. Procurement of plants and machinery by Xinyi Solar Malaysia from related entities in China PR.

47. The domestic industry alleged that the parent company in China PR has supplied all the plant and machinery to their Malaysian subsidiary i.e., Xinyi Solar Malaysia under a related party transaction.
48. Xinyi Solar Malaysia, the cooperating producer/exporter has submitted that it has purchased the plant and machinery at market price with the approval of the Government of Malaysia.
49. It is noted that while benchmark on international prices of raw materials is available, similar credible information for spares/machinery cannot be obtained in view of technical specifications and customised requirements. Further, the Independent Auditor of Xinyi Solar Malaysia in its audit report has not made any adverse comments on the value of plant and machinery appearing in the audited books and accounts of Xinyi Solar (Malaysia). The independent auditor of M/s Xinyi Solar (Malaysia) has certified that the financial statements of the company are in accordance with the Malaysian Financial Reporting Standards, International Financial Reporting Standards and the requirements of the Companies Act, 2016 in Malaysia. It is further noted that the domestic industry has not provided any evidence to prove that the prices of input - and machinery from

related parties are not at fair price. Moreover, while analyzing the data submitted by the exporters in their questionnaire responses and the verification documents, the Authority has not found any inconsistency in the prices of the inputs from the related party. In view thereof, the concerns of the domestic industry relating to transfer pricing are adequately taken care of.

50. The same issue also arose during the original investigation wherein, the Authority with regard to the procurement of plant and machinery by Xinyi Solar Malaysia from the related entities in China PR has dealt with in detail.

4. Indian office of Xinyi Solar Malaysia with the name of 'Xinyi Glass (India)'

51. The domestic industry in its written statement alleged that the producer/exporter Xinyi Solar Malaysia has been maintaining an Indian office with the name of Xinyi Glass (India) which is involved in the solicitation of exporter's business. In order to corroborate their claim, the domestic industry attached a screenshot of a LinkedIn profile of the 'national sales head- India' at Xinyi Glass Holdings Co. Ltd. The domestic industry further tried to buttress their claim with the screenshot of ChatGPT search results of Xinyi Glass India's operations. The Authority notes that apart from this no substantial evidence was produced by the domestic industry to sustain their claim.
52. On the other hand, the producer/exporter submitted that 'Xinyi Glass (India)' is a company incorporated in Hong Kong, and the word 'India' in its name has nothing to do with the alleged Indian office. In order to substantiate the same and establish that Xinyi Glass (India) is an entity incorporated in Hong Kong, the cooperative producer/exporter has submitted its audited annual report for the year 2022 which establishes the same.
53. It is further noted that Xinyi Glass (India) had applied to RBI to set up a liaison office in India in the year 2018, however, the said application was closed by the RBI in the year 2021 and the permission to set up an office in India was not granted. The co-operative producer/exporter in order to establish the same has furnished the e-mail received from ICICI bank wherein the request/query to open a liaison office in India has been closed. However, in the original investigation, there was no such query/e-mail document that was produced by the cooperative producer/exporter rebutting the claim/evidence produced by the domestic industry regarding the operation of its related Indian office.
54. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from Malaysia, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The following producers/exporters from Malaysia have filed exporter's questionnaire responses:
- a. Xinyi Solar (Malaysia) Sdn. Bhd.

Normal Value

55. Based on the information furnished in the questionnaire response, the Authority notes that M/s Xinyi Solar (Malaysia) is a producer of the subject goods and has exported the subject goods to India during the POI.
56. The exporter has sold *** MT of the PUC in the domestic market during the POI whereas, it has exported *** MT of the subject goods to India through unrelated traders during the POI. The Authority has first examined whether the total domestic sales of the subject goods by the producers/exporters concerned in the subject country were representative when compared to their total sales of the subject goods in the exporting country. Thereafter, it was examined whether their sales are under the ordinary course of trade in terms of Annexure-I to the Anti-dumping Rules. M/s Xinyi Malaysia has provided transaction wise details of sales made in the home market. The same has been accepted by the Authority after examination and relied upon to determine the selling price of the subject goods sold in the home market. For the determination of the ordinary course of trade test, the cost of production of the product concerned was examined with reference to the records maintained by the producer/exporter.
57. Further, all domestic sales transactions were examined with reference to the cost of production determined by the Authority of the subject goods to determine whether the domestic sales were in the ordinary course of trade or not. In order to determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production of subject goods. In case profit-making transactions are more than 80% then the Authority considers all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value. Where the profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of normal value. Based on the ordinary course of trade test, all domestic sales have been taken into account for determination of normal value, since the profitable sales were more than 80% by volume. The producer has claimed inland freight, and credit cost as post factory expenses, and the same is accepted by the Authority. The normal value determined as above is mentioned in the dumping margin table below.

Export prices for Xinvi Solar (Malaysia)

58. The Authority notes that Xinvi Solar (Malaysia) Sdn. Bhd. has directly exported *** MT of the subject goods to India with an invoice value of *** USD. The producer/exporter has claimed adjustment on account of ocean freight, port and other related expenses, insurance, inland transportation, credit cost, and bank charges details of which were examined through remote cross checking/desk verification to the extent feasible. The net export price for the PUC at an ex-factory level for the producer / exporter is determined accordingly.

Other producers from Malaysia

59. As per the available data, the Authority notes that during the investigation period of the subject investigation, no other producers barring Xinvi Solar (Malaysia) Sdn. Bhd. have exported the subject goods.

I. Determination of dumping margin

60. The dumping margin determined for the co-operating producer/exporter based on the normal value and the net export price (NEP) as mentioned above, is as follows:

S. No	Producer / Exporter	NV	NEP	Dumping margin		
				USD/MT	%	Range %
1	Xinvi Solar (Malaysia)	***	***	***	***	(10)-0

61. The Authority notes that during the investigation period of the subject investigation, no other producers barring Xinvi Solar (Malaysia) Sdn. Bhd. have exported the subject goods and the dumping margin for the said sole producer is negative.

J. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

62. Rule 11 of the Rules read with Annexure-II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles... ". The relevant provisions of anti-dumping agreement are reproduced below:

*Article 11**Duration and Review of Anti-Dumping Duties and Price Undertakings*

11.1 An anti-dumping duty shall remain in force only as long as and to the extent necessary to counteract dumping which is causing injury.

11.2 The authorities shall review the need for the continued imposition of the duty, where warranted, on their own initiative or, provided that a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti-dumping duty, upon request by any interested party which submits positive information substantiating the need for a review.(21) Interested parties shall have the right to request the authorities to examine whether the continued imposition of the duty is necessary to offset dumping, whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both. If, as a result of the review under this paragraph, the authorities determine that the anti-dumping duty is no longer warranted, it shall be terminated immediately.

11.3 Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, any definitive anti-dumping duty shall be terminated on a date not later than five years from its imposition (or from the date of the most recent review under paragraph 2 if that review has covered both dumping and injury, or under this paragraph), unless the authorities determine, in a review initiated before that date on their own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to that date, that the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.(22) The duty may remain in force pending the outcome of such a review.

63. Article 3 of the anti-dumping agreement states as under:

3.1 A determination of injury for purposes of Article VI of GATT 1994 shall be based on positive evidence and involve an objective examination of both (a) the volume of the dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for like products, and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products.

3.2 *With regard to the volume of the dumped imports, the investigating authorities shall consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in the importing Member. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the investigating authorities shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of a like product of the importing Member, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. No one or several of these factors can necessarily give decisive guidance.*

3.4 *The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry.....*

3.5 *It must be demonstrated that the dumped imports are, through the effects of dumping, as set forth in paragraphs 2 and 4, causing injury within the meaning of this Agreement. The demonstration of a causal relationship between the dumped imports and the injury to the domestic industry shall be based on an examination of all relevant evidence before the authorities.*

64. Article 3 of the anti-dumping agreement along with Rule 11 of the anti-dumping rules read with Annexure-II states that an examination of injury shall be based on positive evidence and involve an objective examination of both (a) the volume of the dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for like product. In this case, the imports from the subject country have been found to be un-dumped and therefore the standards set out for carrying out the injury examination owing to such volume of dumped imports and its effect on prices of the domestic industry cannot be met. In the absence of any volume of dumped imports from the subject country the Authority does not deem it necessary to examine the injury parameters and the causal link thereto.
65. It is noted that unlike the original investigation where the Authority is required to establish current dumping, injury, and causal link between both, the examination in the sunset review investigation is that of a likelihood, which is a settled position through various judicial precedents and WTO rulings.
66. Article 11.3 of the anti-dumping agreement requires an investigating authority, in order to maintain an anti-dumping duty, to review an anti-dumping duty order that has already been established, following the pre-requisite determinations of dumping and injury- so as to determine whether that order should be continued or revoked. When the 'review' of a determination of injury that has already been established in accordance with Article 3 of the anti-dumping agreement, Article 11.3 does not require that injury again be determined in accordance with Article 3 when making a likelihood-of-injury determination.¹
67. In the fact of the present case, there is no other producer of the subject goods in the subject country barring M/s Xinyi Solar Malaysia for which the dumping margin has been found to be negative which *inter-alia* implies that the dumping margin of the subject country as a whole is negative. In the absence of current dumping from the subject country, the examination of injury would be inconsequential.
68. The Authority, therefore deems fit to directly move for the examination of likelihood factors.

K. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

69. In a review investigation, the Authority has to determine whether the subject goods are continuing to enter or likely to enter the Indian market at dumped prices and whether injury to the domestic industry is likely to continue or recur due to these dumped imports if the duty is removed.

Submissions by the domestic industry

70. The submissions of the domestic industry with regard to likelihood of injury are reproduced herein below:
- a. The continued dumping, despite duties in force, clearly demonstrates that the dumping is only likely to continue if the duties are removed. This shows that the producers in the subject country have a tendency to resort to unfair pricing behavior.
 - b. The fact that the share of the imports from the subject country declined post imposition of duties and became much lower as compared to the imports from the rest of the world, clearly shows that anti-dumping

¹ US- Sunset Review of anti-dumping Measures on OCTG from Argentina: WT/DS268/AB/R dated 29.11.2004.

duty is acting as a barrier against manufacturers/exporters from the subject country to dump their goods in the domestic market.

- c. The exporters are planning significant capacity addition in Malaysia. It has been highlighted that the current capacity addition is far in excess of the local demand which indicates that the plants are likely to depend on the export markets and India in particular looking at a high growth in India. At the time when Indian industry is suffering because of dumping from Malaysia, these additional capacities will not only jeopardize the new investment but also pose threat to the existing investment and the vision of “Atmanirbhar Bharat”.

Particulars	UoM	
Capacity Expansion in Malaysia	MT	711750
Xinyi Solar – 1200 MT per day (Source: Annual Report)		
NSG – 750 per day (Source: Market Sources and Public News)		
Indian PUC Demand	MT	***
Indian PUC Production	MT	***
% of New Capacity Addition in Malaysia to Indian Demand	%	***%
% of New Capacity Addition in Malaysia to Indian Demand	Range	130-150
% of New Capacity Addition in Malaysia to Indian Production	%	***%
% of New Capacity Addition in Malaysia to Indian Production	Range	610-640

- d. Imports from China, reduced drastically from 99000 MT to 28000 MT in the year 2021-22 as compared to 2018-19. This reduction was primarily because of the existence of anti-dumping duties against China. During the same period imports from Malaysia increased from 42000 MT in 2018-19 to 128000 MT in 2021-22. In 2021, anti-subsidy duties were imposed against Malaysia. In 2021-22, with duties present against China (anti-dumping) and Malaysia (anti-subsidy), imports from Vietnam started increasing.
- e. The time since anti-dumping duties were removed against China, imports from China have increased rapidly and imports from Malaysia declined to some extent owing to anti-subsidy duties against these imports. In case the anti-dumping duties against Malaysia are not extended, imports are likely to spurt from Malaysia and the current investment will be at substantial risk of being rendered uneconomic and new investment would either be delayed or dropped.

Quantity MT	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
Imports from China	65,520	99,213	76,778	29,324	28,372	209,317
Imports from Malaysia	37,929	41,789	119,968	128,273	91,949	81,937
Imports from Vietnam	-	-	-	656	78,093	103,277
Other Countries	1,077	1,430	1,272	546	23	993
Total Imports	104,526	142,432	198,017	158,799	198,436	395,524

- f. As per the market intelligence, exporters from Malaysia have significantly higher capacity than the domestic demand and with that capacity, they can swamp the Indian market. The addition of capacity in Malaysia is multiple times the Indian capacity and production. Since India is a growing market with substantial investments being made in the solar energy sector, it will always remain an attractive destination for countries with huge surplus capacities.
- g. The price sensitiveness of the Indian market makes it more vulnerable to dumped and injurious imports. In such circumstances, withdrawal of anti-dumping duty in force and non-levy of duties against the main producers will certainly lead to continuance or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. There is every likelihood of huge potential imports once the duties are lifted.
- h. Post imposition of the duties against Malaysia and China, Indian manufacturers have in a planned manner increased their capacities. While Borosil has increased its capacity from *** MT/day in 2018 to *** MT/day by 2023, many new manufacturers (as given below) have set up their facilities. With the given capacity expansion, the Indian industry will be able to cater to the demand in India.

Particulars	Capacity (Per Annum in MT /day)
Triveni Renewables Ltd	***
Vishakha Renewables Ltd	***
Gobind Glass Ltd	***
Emerge Glass Ltd	***
Gold Plus Glass Ltd	***
Total	***
Capacity of BRL	***
Total capacity in India	***

- i. Imports from Malaysia have declined because imports from China increased, where the parent company of Xinyi Malaysia is situated. It is interesting to note that Xinyi Malaysia has not said anything about their low imports despite the increase in demand. This is surprising because, according to their submission in response to part-II questionnaire, their exports to India ought to have increased as the demand has increased manifold. It is specifically mentioned by them that “*The global demand for PUC had been increasing and Xinyi Malaysia’s operation has been changing following the global trend.*” This approach of the exporter only shows that the lower exports from Malaysia are only because of increased exports from China. This also substantiates the point of the domestic industry that China is controlling the supply of product under consideration through Malaysia and Vietnam to avoid legitimate trade measures by the affected countries.
- j. As per the practice of the DGTR and also as per the Hon’ble Tribunal and High Court, there is no bar, if the DGTR varies the duties based on the facts and circumstances of the sunset review investigation. In view thereof, it has been requested to enhance the duties on the exporter based on the facts and circumstances of the sunset review investigation.

Submissions by other interested parties

71. The submissions of the interested parties with regard to likelihood of injury are reproduced herein below:
 - a. That domestic industry has not substantiated their claim of likelihood and no evidence / information has been provided in support.
 - b. There is no likelihood of dumping and injury from Xinyi, as was the case in the original investigation.

Examination by the Authority

72. The Authority has examined the likelihood of continuation or recurrence of injury considering the requirement laid down under Section 9A (5), Rule 23(1B) and parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure - II (vii) of the Anti-dumping rules, and other relevant factors brought on record by the interested parties.
73. The Authority observes that this being a sunset review investigation, the focus of the investigation is to examine the likely scenario of continued dumping and consequent injury if anti-dumping duties are to be allowed to expire even if there is no current dumping or injury. This also requires a consideration of whether the duty imposed is serving the intended purpose of eliminating injurious dumping.
74. All the factors brought to the notice of the Authority have been examined to determine whether there is likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury in the event of cessation of the duty. The Authority has considered various information, as made available by the domestic industry and other interested parties, in order to evaluate the likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury.
75. There are no specific methodologies available to conduct a likelihood analysis. However, clause (vii) of Annexure-II of the Rules *inter alia* provides factors that are required to be taken into consideration *viz.*:
 - a. **A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation:**
 - i. From the data on record and as given in the table below, the Authority notes that barring 2020-21, the imports from Malaysia have gradually declined over the injury period and the POI.
 - ii. The imports, however, have increased from other countries esp. China post the revocation of anti-dumping duties.

Particulars	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Malaysia	122402	144701	89679	77829
Imports from Other Countries	73202	37791	111158	323043
Total Imports (MT)	195605	182491	200837	400872

b. Sufficiently freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports:

- i. The Authority notes that the information submitted by the domestic industry regarding capacity expansion in Malaysia primarily relies upon the expansion by Xinyi Solar, Malaysia. The Authority further notes that the said producer has been found to be not dumping in the present as well as the previous investigation. Hence, any expansion in capacity by Xinyi Solar, Malaysia, whatsoever, is an inconsequential likelihood for dumping.
- ii. Regarding capacity addition by a new producer namely Nippon Sheet Glass Co., Ltd. (NSG), the relevant link provided by the domestic industry in its application only reveals that NSG Group will install coating capacity in the near future and will start shipping TCO glass for solar panel manufacturing after the facility is in operation and that the anticipated supply from the converted line will commence during the fourth quarter of fiscal year ending March 2024. As regards submissions of the domestic industry regarding installation of capacities by the new producer, namely, the NSG group and that it has commenced production from November 2023 are concerned, the Authority notes that since the said producer has not exported the subject goods in the investigation period, any conclusion on its likelihood to export and more so dump in the future will at best be speculative.
- iii. The WTO Panel in Pakistan – BOPP Film (UAE), has further buttressed the legal position where it was observed that:

*"...a Member may not rely solely on assumption or speculation when conducting a likelihood analysis during a sunset proceeding but must, instead, conduct its examination on the basis of positive evidence so as to arrive at a reasoned determination, resting on a sufficient factual basis, that dumping and injury are 'likely' – i.e. probable and not merely possible – to continue or recur."*²



c. Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices and would likely increase demand for further imports:

- i. From the table below the Authority notes that the weighted landed value from Malaysia is consistently below the weighted average selling price and weighted average cost of the domestic industry. Similarly, the weighted average selling price is also below the weighted average cost during the entire injury investigation period.
- ii. The Authority, however, notes that the landed value from Malaysia increased throughout the injury investigation period. While the domestic industry's selling price increased from base year till 2021-22, it dipped in the POI.
- iii. The Authority duly notes that there is a price pressure on the domestic industry and it has not been able to realize its cost. However, it is equally also noted that this pressure cannot be attributed to the imports from the subject country as the same has been found to be un-dumped.

Particulars	UoM	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Wt. Avg Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	119	132	142
Wt. Avg. Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	136	159	155
Wt. Avg Landed Price of Imports from Malaysia	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	128	129	138

2 Panel Report, Pakistan – BOPP Film (UAE), para. 7.543.

76. Further, the Authority has also examined other relevant factors having a bearing on the likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry. The examination is as follows.



Country	Investigation	Date of duty imposition	Duty Expiry
China	Anti-dumping duty	18th August 2017	17th August 2022
Malaysia	Anti-dumping duty	26th February 2019	25th February 2024
Malaysia	Countervailing Duty	9th March 2021	8th March 2026

77. It appears from the above graphs and the table that post-imposition of anti-dumping duties on imports of the subject goods from China PR, the volume of subject goods gradually declined from China in the year 2018-19. During the same period, the volume of subject goods from Malaysia increased. Subsequently, the Authority determined that the subject goods were being dumped from Malaysia and the Central Government upon recommendation of DGTR imposed anti-dumping against Malaysia. Later on, anti-subsidy duty was also imposed against Malaysia. A natural question that may arise here would be that despite the imposition of anti-dumping duties, the volume from Malaysia continued to increase. The same can be explained by the fact that the only participating exporter from Malaysia M/s Xinyi Solar had got nil duties. During the course of the investigation, it was also revealed that almost all the entire volume of the subject imports from Malaysia was entering into India at non-dumped prices given the fact that there was only a single producer of the subject goods in Malaysia.
78. However, post-imposition of the countervailing duties in March 2021 against the exporters/producers from Malaysia including M/s Xinyi Solar, the volume of subject goods from Malaysia declined. It is emphasized that this was the period in which trade remedial duties were in existence against the imports of both Malaysia as well as China PR. The volume of imports from China PR plummeted to their lowest level in 2021-22 in the past five years. The imports from Malaysia also registered a significant decline. However, it can be noted that in the same period, there was an abrupt and significant rise in the volume of subject imports from Vietnam. The volume of imports from Vietnam increased from 656 MT in 2020-21 to 78,093 MT in 2021-22.
79. Subsequent to this, with the revocation of anti-dumping duties against China PR and with the existence of anti-dumping duties against Malaysia, the volume of subject imports from China PR registered a meteoric rise of almost 600%, while the volume of subject imports from Malaysia has continued to decline. It appears that the subject imports from Malaysia were replaced by subject imports from China PR once the anti-dumping duties against subject imports from China PR were discontinued. According to the domestic industry, this interplay between the three countries is also closely marked by the fact that the producers/exporters in these countries are related Chinese entities and decision making is controlled by them. It is also noted that no other interested party has provided any other economic reasoning for such constant change in trade flows. The arguments on record and information available indicate towards an interplay between the three countries.
80. However, as regards the allegation of the domestic industry that in case duties against subject imports from Malaysia are not continued, imports from Malaysia will follow suit in case anti-dumping duties against China PR are imposed, the Authority notes that insofar the diversion of China's imports through Malaysia is concerned, the domestic industry's submissions appear to be speculative especially given the fact that all imports from Malaysia were found to be un-dumped in the original investigation and are currently also entering into India at non-dumped prices. Furthermore, even after discontinuation of anti-dumping duties all subject imports from Malaysia would remain subject to countervailing duties in terms of Notification No. 3/2021 (CVD) dated 9th March 2021.

d. Public interest analysis

Submissions by the domestic industry

81. The subject good is one of the components used in the solar module which has a 40% basic customs duty, however, the subject good has zero basic customs duty. Notably, the subject goods constitute a very small portion of the cost of solar modules i.e., around 6%. Additionally, the impact of anti-dumping duty, if at all levied on the subject goods would be only around 1.50% of the module cost. Irrespective of the duties on the subject goods, the international solar module prices have undergone a change of almost 40% in the last one year, and thus, a 1.50% change is insignificant at such a level of changes in the prices of end products. In terms of the impact on the per unit cost of electricity, the impact of an anti-dumping duty on subject goods would be Rs. 0.016 per unit in the power price of minimum Rs. 6.00 per unit to the end consumer. Thus, the impact of 0.27% on module price or Rs. 0.016 per unit due to anti-dumping duty is very insignificant.

Submissions by other interested parties

82. No comments have been offered by any other interested party in this regard.

Examination by the Authority

83. The Authority duly notes that the impact of an anti-dumping duty if levied on the subject goods would only be minuscule on the end users. However, as noted above the subject country in the current investigation is not dumping the subject goods in India.

Conclusion on likelihood of dumping and injury

84. Considering the information available, and after due examination of the evidence on record, the Authority concludes as under:

- i. The entire imports from the subject country have been made by the sole producer i.e. Xinyi Solar, Malaysia in the POI as well as the preceding three years in the subject investigation. Glaringly, these imports from the said co-operative producer have been found to be not dumped.
- ii. In the original investigation as well, the said producer was found to be not dumping.
- iii. Since there is no dumping happening from the subject country, the likelihood of its continuation or recurrence seems to be a remote possibility.
- iv. As far as the argument that Xinyi Solar, Malaysia has majorly expanded its capacities for the subject goods, the Authority notes that likelihood owing to any additional capacity by the said producer becomes inconsequential since it has been found not to be dumping.
- v. As regards submissions of the domestic industry regarding installation of capacities by the new producer, namely, the NSG group and that it has commenced production from November 2023 are concerned, the Authority notes that since the said producer has not exported the subject goods in the investigation period, any conclusion on its likelihood to export and more so dump in the future will at best be speculative.

L. POST DISCLOSURE ANALYSIS

85. The post disclosure submissions have been received from the interested parties and are analysed as under:

Submissions made by the other interested parties

86. The interested parties made the following submissions:

- i. The cooperating producer/exporter i.e., Xinyi Solar Malaysia has fully agreed to the proposals of the Authority in the disclosure statement. It has further requested the Authority to issue the final findings based on the determination of the dumping margin in respect of Xinyi Solar (Malaysia) SDN BHD, Malaysia in the disclosure statement.
- ii. With regard to the others, the cooperating producer/exporter requested the Authority to examine the normal value and export price as per the facts available.

Submissions of the domestic industry:

87. The domestic industry made the following submissions:

- i. The fair valuation of plant, machinery consumables, and spare parts was not appropriately adjusted in the cost of production and hence the ordinary course of test (OCT) and normal value would not be correct and therefore cannot be said to be calculated in terms of Annexure 1 of the AD Rules.
- ii. The Authority did not call for certification from the exporter regarding the correctness of the value of plant and machinery. The domestic industry has even provided the names of the valuation agency of Malaysia. Since Xinyi Malaysia had bought machinery from China, their cost is less than the fair valuation of the machinery and accordingly, their depreciation and interest cost is not actual and reflective of true market values as envisaged in Annexure 1 of the AD Rules. The domestic industry has also provided the estimated depreciation cost based on their procurement of the machinery and has requested the Authority to check the depreciation per MT in the cost of production the exporter. It has been further highlighted that acceptance of data / information of Xinyi Malaysia is under challenge in Hon'ble CESTAT wherein the orders are reserved. The Authority should consider this aspect while making its recommendations.
- iii. The domestic industry provided evidence that Xinyi Glass India is involved in the marketing and sales of the subject goods, which the exporter did not deny. The Authority did not consider the DI's submissions regarding Xinyi Glass India's operations in India. The DI requested to deduct expenses incurred in sales, marketing, and remuneration paid to Xinyi Glass India while calculating their export price and landed value. Additionally, the DI requested the Authority to recommend residual duties against Xinyi for mis-declaration.
- iv. The duties on Chinese and Malaysian subject goods have positively impacted Indian producers and helped achieve Atmanirbhar Bharat. However, import prices remain below the domestic industry's costs. The imposition of anti-dumping duty allowed Indian producers to find alternative markets, with investments in Malaysia and Vietnam supporting the domestic industry's submissions.
- v. The fact that there is only one producer in Malaysia during period of investigation, whose dumping margin may be negative, is of no legal consequence. For the purpose of likelihood analysis, it would be appropriate to consider the situation without reference to the fact that the single producer during the POI had zero dumping margin.

- vi. The domestic industry has provided evidence of another manufacturer, NSG Solar Glass, starting production, which supports the conclusion of likelihood of dumping and injury. New investments in Malaysia have only become operational after taking subsidies and incentives. NSG Group (Nippon) commenced operations in November 2023 and has already negotiated subsidies. Revocation of duties could be detrimental to the domestic industry, other domestic producers, and upcoming capacities.
- vii. The domestic industry predicts minimal impact of anti-dumping duties, if levied, on end consumers, with a 1% module price increase or 1.60 paisa per unit due to 25% duty.

Examination by the Authority

88. The Authority notes that all of the averments made above in the form of post-disclosure comments have already been raised earlier and have been addressed appropriately at relevant paragraphs of these final findings. The interested parties may refer to such relevant paragraphs.

M. CONCLUSION

89. Having regard to the contentions raised, information provided, submissions made and facts available before the Authority as recorded in these final findings and on the basis of the determination of dumping and the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in the event of cessation of existing duties, the Authority concludes that:
 - a. The applicant domestic producer constitutes domestic industry under Rule 2(b) of the Rules and the application filed by them satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.
 - b. The product under consideration continues to be exported to India at prices above the normal value resulting in no dumping from the subject country.
 - c. In the present case, the available information shows that there is no other exporters/producers of the subject goods in the subject country barring M/s Xinyi Solar Malaysia for which the dumping margin has been found to be negative which *inter-alia* implies that the dumping margin of the subject country as a whole is negative. In the original investigation as well the said sole producer was found to be exporting to India at un-dumped prices. In such an event where there is neither a current dumping nor a likelihood of dumping, the extension of existing duties does not arise.

N. RECOMMENDATION

90. Having examined the contentions of various interested parties and on the basis of the above facts, circumstances and analysis, the Authority concludes that in the facts of the present case there is absence of current as well as likelihood of dumping and injury to the domestic industry. In view of the above, the Authority does not consider it appropriate to extend the existing anti-dumping duty on the imports of subject goods from the subject country. Therefore, in terms of Section 9A(5) of the Customs Tariff Act read with Rule 23 1B of the anti-dumping rules, the Designated Authority recommends not to extend the current anti-dumping duties.

O. FURTHER PROCEDURE

91. An appeal against this notification shall lie before the Customs, Excise and Services Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975.

ANANT SWARUP, Designated Authority